कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के नियम और विनियम

यातायात प्रचालन से संबंधित

31-12-98 तक संशोधित

सूची

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के यातायात प्रचालन संबंधी नियम और विनियम

क्रम सं	नियम/विनियम के विषय	पृष्ठ
1	कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (क्लर्क ,आयातकर्ता, शिप्पेर्स एवं निकासी तथा अग्रेषण एजन्टों के लाईसन्सिंग)विनियम, 1966	1-5
2	कोचिन पोर्ट ट्रस्ट पब्लिक बोंडड मालगोदाम (भाडा व अन्य प्रभार) विनियम, 1967	6-11
3	कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (घाटों, जलावतरण-मंचों एवं बोट पेन) विनियम 1968	12-13
4	कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (चीन मत्स्य जाल के लाईर्सेस) विनियम, 1976	14-17
5	कोचिन पोर्ट तथा गोदी विनियम 1975	18-85
6	कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईर्सेस की जारी) संशोधन विनियम,1987	86-94
7	कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (खतरनाक/जोखिम फ्राइट कन्टेइनर्रों का वहन करने वाले माल) का विनियम , 1987	94-113
8	कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (आसेध या रोक तथा जलयान की बिक्री) विनियम, 1988	114-122
9	महा पत्तन (जहाज्रों की प्रविष्टि, टिकान, संचलन एवं निकासी विनियम) नियम, 1989	123-125

अधिसूचना

फा.सं. बी/5814/64 28 अगस्त, 1967

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल एतत्द्वारा निम्न लिखित विनियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जो बोर्ड द्वारा लगातार दो हफ्ते सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई तथा धारा 124 द्वारा अपेक्षित करने के अनुसार केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त की गई अर्थात :-

I. संक्षिप्त नाम एवं प्रयोग

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (क्लर्क ,आयातकर्ता, शिप्पेर्स एवं निकासी तथा अग्रेषण एजन्टों के लाइसन्सिंग (विनियम 1966 है) ।

(ii) वार्फ तथा डॉक में व्यापार सौदे के लिए इनका प्रयोग करें ।

II. लाइसन्स की जारी : लाइसन्स, यातायात प्रबन्धक द्वारा संलग्न फार्म 'बी' में निर्धारित आवेदन पत्र 'ए' के साथ विनियम सं.V में निर्धारित शुल्क अदा करने से जारी की जाएगी । जैसे कि अस्थायी लाइसन्स की जारी के संबंध में विनियम IV के अधीन एतत्द्वारा उपबन्ध किया गया है । सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी की गई लाइसन्स प्राप्त हुए निकासी तथा अग्रेषण एजन्टों के कर्मचारियों को ही लाइसन्स जारी की जाएगी ।

***III. लाइसन्स की मान्यता :** लाइसन्स की मान्यता तीन साल के लिए होगी या 3वीं कलैंडर वर्ष के अंत तक जो पहले आता है तथा हर 3 साल में नवीकृत की जाएगा ।

IV. अस्थायी लाइसन्स की जारी: विनियम II में अन्तर्विष्ट के बावजूद, ट्रस्ट के यातायात प्रबन्धक को संलग्न निर्धारित आवेदन फार्म 'सी' में विनियम V में बताए नाममात्र शुल्क की अदायगी से अस्थायी लाइसन्स फार्म 'डी' में एक दिन के लिए जारी किया जाएगा ।

***V. लाइसन्स शुल्क :** लाइसन्स जारी करने का शुल्क :

(i).	प्रति लाइसन्स के मूल प्रति के लिए तथा नवीकरण के जारी करने के लिए	: 52/-रूपये
(ii).	प्रति लाइसन्स के दो तथा तीन प्रतियों के जारी करने के लिए	:156/रूपये
(iii)	प्रति दिन के अस्थायी लाइसन्स के लिए	: 2/-रूपये

VI. फर्म के गठन में परिवर्तन :

फर्म के गठन में यदि कोई परिवर्तन है तो पुर्नगठन की शर्तें अपने आप से उसी व्यक्ति को नयी गठित फर्म की ओर से भी अधिकार न दिया हो तो यद्यपि उसी व्यक्ति के नाम पर होने पर भी लाइसन्स की अनुदान के लिए नया आवेदन देना होगा ।

* जी एस आर 300 (ङ) दिनांकित 29.3.95 के अनुसार प्रतिस्थापित ।

फार्म - "ए"

सरकार द्वारा अनुमोदित अधिसूचना के अनुसार संशोधित जी एस आर -300 (ड) दिनांक 29.3.95

सेवा में

यातायात प्रबन्धक,
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

महोदय,

विषय :- व्यापार सौदे के संबंध में वार्फ प्रवेश- व- लाइसन्स के लिए अनुमति आवेदन ।

सी & एफ एजन्टस के तौर पर पोर्ट वार्फ एवं डॉक से माल के वितरण एवं निकासी केलिए सीमाशुल्क लाइसन्स का अनुसमर्थन किया जाता है । हमारे क्लर्कों को वार्फ एवं डॉक में व्यापार सौदे के लिए लाइसन्स जारी करने को मैं /हम अनुरोध करता/करते हैं जिनका ब्योरा नीचे दिया जाता है ।

1.	नाम	:
2.	पदनाम	:
3.	जन्म तिथि	:
4.	पहचान चिह्न	:
5.	फर्म का नाम	:
6.	सीमाशुल्क लाइसन्स नं एवं फर्म की तारीख	:
7.	हस्ताक्षर	:

लाइसन्स के लिए जारी की गई शर्तों को स्वीकार करने के लिए मैं/हम एतत्द्वारा वचन देता है । उक्त व्यक्तियों को पोर्ट वार्फ तथा डॉक व्यापार सौदे के लिए अनुमति देने से जो क्षति या नुकसान पहुँचती है उसके लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए मैं/हम तैयार हैं ।

कर्मचारी के तीन पारपत्र आकार का फोटो इसके साथ संलग्न है । निर्धारित शुल्क इसके साथ भेज दिया जाता है या पोर्ट लेखे में जमा किया जाता है ।

फर्म का हस्ताक्षर

फार्म 'बी'

अधिसूचना संख्या .जी एस आर -300 (ङ) दिनांक 29.3.95 के अनुसार संशोधित

(संशोधन के लिए प्रस्तावित)

पोर्ट वार्फ एवं डॉक से सी & एफ एजन्टस के तौर पर माल के वितरण एवं निकासी केलिए व्यापार सौदे के संबंध में वार्फ प्रवेश- व- लाइसन्स के लिए सीमाशुल्क लाइसन्स की अनुमति .

1.	नाम	:
2.	पदनाम	:
3.	जन्मतिथि	:
4.	पहचान चिह्न	:
5.	फर्म का नाम	:
6.	सीमाशुल्क लाइसन्स नं एवं फर्म की तारीख	:
7.	हस्ताक्षर	:

शर्त

1. यह लाइसन्स धारण करनेवाले के समक्ष होना है तथा निरीक्षण के लिए पोर्ट/सी आई एस एफ अधिकारी की मांग के अनुसार प्रस्तुत करना है ।
2. इस अनुज्ञापत्र का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता । कार्यसंपादन एवं ज्यादातर आवश्यकता न होने के अवसर पर कामिकों को परिवर्तन के समय इसे रद्द करने केलिए मुख्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस सौंपा देना चाहिए ।
3. बिना सूचना के किसी भी समय यह रद्द करनेवाला है ।
4. समाप्ति दिन के पहले निर्धारित शुल्क भुगतान करके हर तीन साल इस अनुज्ञापत्र को नवीकृत किया जाए ।
5. मूल प्रति नष्ट हो जाने पर निर्धारित शुल्क अदा करके आवेदन देने पर /नकली प्रति दिया जाएगा ।
6. पोर्ट क्षेत्र के भीतर अनुज्ञापत्र धारण करनेवाले को दुर्घटनाओं से होनेवाली वैयक्तिक क्षति/घाव के लिए पोर्ट ट्रस्ट को किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं है ।
7. संबंधित नियोक्ता/फर्म द्वारा यथावत हस्ताक्षरित काम का स्वभाव तथा अवधि सूचित करनेवाले ड्यूटी पर्ची ग्रस्त नहीं करने तक अनुमति धारक को वार्फ में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

.....से .....तक के अवधि की मान्यता

यातायात प्रबन्धक या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुख्य सुरक्षा अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म 'सी'

सेवा में

यातायात प्रबन्धक,
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

महोदय,

विषय : पोर्ट वार्फ एवं डाक में व्यापार सौदे के लिए अस्थायी लाइसन्स के संबंध में आवेदन ।

पोर्ट वार्फ एवं डाक में व्यापार के लिए वाहक श्री. ..... जिसका विवरण नीचे दिया है, को अस्थायी लाइसन्स देने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ/ हम अनुरोध करते हैं ।

नाम	:
पदनाम	:
पिता का नाम	:
पूरा पता	:
आयु	:
लंबाई	:
पहचान चिह्न	:

अस्थायी लाइसन्स देने के लिए मैं/हम शर्तों का पालन करने का वचन देता हैं और अस्थायी लाइसन्स की जारी के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा की गई सभी कार्रवाईयों के विरुद्ध पोर्ट को सुरक्षित भी करता है ।

फर्म का हस्ताक्षर

फार्म 'डी'

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

यातायात विभाग

अस्थायी लाइसन्स संख्या . .....200 ..... तक मान्य

नीचे निर्धारित फर्म के नाम पर पोर्ट वार्फ एवं डाक से और पोर्ट वार्फ एवं डाक से माल की सुपुर्दगी के लिए श्री . .....को एतद्द्वारा एक अस्थायी लाइसन्स दिया जाता है ।

दिनांक.....

यातायात प्रबन्धक

लाइसन्सधारी का विवरण

नाम :

पदनाम :

पिता का नाम :

पूरा पता :

आयु :

लंबाई :

पहचान चिह्न :

हस्ताक्षर :

फर्म का नाम

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

अधिसूचना

(28-11-1978 की अधिसूचना के अधीन संशोधित)

सं.बी/1872/69 दिनांक : 29-7-1976

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 123 के उप-धारा (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबन्ध में कोचिन पोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई पिछले नियमों का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा निम्न लिखित विनियम आम जानकारी केलिए प्रकाशित की जाती है, जो बोर्ड द्वारा लगातार दो हफ्ते सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई तथा धारा 124 द्वारा अपेक्षित करने के अनुसार केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त की गई अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रयोग :

(i) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट पब्लिक बॉंडड मालगोदाम (भाडा व अन्य प्रभार)विनियम, 1967 है ।

(ii) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं और व्याख्या :**

इन विनियमों में, यदि नहीं तो आवश्यक

(क) 'बोर्ड' अर्थात् महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन कोचिन पोर्ट केलिए गठित बोर्ड के न्यासियों से अभिप्रेत है ।

(ख) 'सीमाशुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता ' और 'सीमाशुल्क सहायक नियन्त्रक ' को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में वही अर्थ है ।

(ग) इन विनियमों में न परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 व सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में जो भी हो उन्हें सौंपे गए अर्थ होते हैं ।

3. **बोर्ड के सार्वजनिक बॉंडड मालगोदामों में मालों का संभरण :**

सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 धारा 57 के अधीन सीमाशुल्क के सहायक नियन्त्रक द्वारा समय समय पर नियुक्त किए गए सार्वजनिक बॉंडड मालगोदामों में बोर्ड अपने मालों को मालगोदाम में भंडारण का सकता है । सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्ता एवं बोर्ड के निर्णयानुसार मालों को मालगोदामों में संभरण कर सकते हैं ।

मालगोदाम कार्यसम्पादन दो प्रकार के हैं :-

(1) मासिक आधार पर उपभोक्ताओं को कंपार्टमेन्ट या कमरा भाडे पर देना और

(2) दैनिक दर पर मालों का संभरण करना ।

पोर्ट ट्रान्सिस्ट शेड से सार्वजनिक बॉंडड मालगोदामों से और विपरीतक्रम से मालों का वहन माल मालिकों के अपने ही खर्च और सुरक्षा पर सीमाशुल्क के निरीक्षणाधीन किया जाता है ।

4. मालगोदामों का नियोजन :

सीमाशुल्क सहायक समाहर्ता, कोचिन द्वारा बोर्ड के अधीन हुए निम्नांकित जगह को सार्वजनिक बॉण्डड मालगोदाम का नियोजन किया गया है, जहाँकि शुल्क योग्य मालों को प्रथम आयातीत पर शुल्क भुगतान के बिना और तदुपरान्त सीमाशुल्क विभाग के अधीन निक्षेप किया जाता है ।

नियोजित जगह	**निक्षेपित**
विल्लिंगडन आईलन्ड के वार्फ क्षेत्र में भंडारण शेड 'ए' का भाग	हथियार , युद्धोपकरण और ज्वलनशील मालों के अलावा सभी शुल्क योग्य माल

बोण्डड मालगोदाम के प्रभारी पोर्ट ट्रस्ट पदाधिकारी को बॉंड निरीक्षक कहते हैं ।

5. मालगोदामित मालों के लिए भाड़े का शर्त और दर :

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49(1) के अधीन बॉंड के अधीन मालगोदाम में उक्त उल्लिखित मालों के भंडारण के लिए बोर्ड द्वारा नियत भंडारण भाडा दर निम्नानुसार है :

(i) मासिक आधार पर बाँटे कमरों का भाडा:

विवरण	**प्रथम 30 दिनों के लिए**	**31वीं दिन से 120वीं दिन तक के लिए**	**121वीं दिन और उससे अधिक दिनों के लिए**
39.1109 स्क्वयर मी. मापवाले कमरों के लिए	प्रतिमाह 600/-रू. या उसके अंश	प्रतिमाह 900/-रू. या उसके अंश	प्रतिमाह 1200/-रू. या उसके अंश

(ii) कार्गो के दैनिक दर पर भंडारण के लिए कार्गो:

बोण्डड मालगोदाम के साधारण जगह में भंडारित किए गए मालों के मालगोदाम देय अर्थात् मासिक आधार पर न बांटे गए जगह के लिए

	मद संख्या	पैकेजों का विवरण	प्रथम 30 दिनों के लिए प्रति दिन भाडा	31वीं दिन से 120 वीं दिन तक के लिए प्रतिदिन भाडा	120वीं दिन से एवं उससे अधिक दिनों के लिए प्रति दिन भाडा
			रूपया	रूपया	रूपया
(i)	घडाका एवं गट्ठा	प्रत्येक	0.20	0.30	0.45
(ii)	डिब्बा एवं क्रिएट्स	,,	0.40	0.60	0.90
(iii)	पीपा,केग्स, ड्रम एवं मरतबान	,,	0.40	0.60	0.90
(iv)	कैरेज एवं मोटोर कार	,,	4.00	6.00	9.00
(v)	बेपैकिंग मशीनरी	प्रति टन केलिए या उसके आंशिक 50 किलोग्राम के लिए	8.00	12.00	18.00
(vi)	न गिने हुए चीज़		2.00	3.00	4.50

6. खुले जगहों पर मालों का बोर्डिंग दर :

	30 दिनों तक	31वीं दिन से 120 वीं दिन तक	120 दिनों से परे
100 स्क्यर मी. व इससे कम के लिए	प्रतिमाह 200/-रू. या उसके अंश	प्रतिमाह 300/-रू. या उसके अंश	प्रतिमाह 400/-रू. व उसके अंश

टिप्पणी:

i) पर्याप्त समय के पहले व्यवसाय के लिए नहीं प्राप्त किए परमिट या नवीकरण के लिए विनियम में स्पष्ट किए साधारण भाडे के दर से तीन गुने दण्डस्वरूप भाडा आनुपातिक आधार पर वसूल किए जाएंगे ।

ii) इस प्रकार के मामले में पोर्ट दूसरे बोण्डड मालों की तरह कोई बोण्ड वारंट जारी नहीं करेंगे ।

iii) बॉडड मालगोदामों में न लेने योग्य मालों के लिए उपर्युक्त दर पर खुले जगह छोड दिए देंगे ।

iv) खुले जगह इस शर्त पर दिए जाते हैं कि पार्टी को मालों पर विलम्ब प्रभार भुगतान करना है जो मालों से कम देय रकम जगह के भाडे के रूप में भुगतान करना पडता है, अगर सीमाशुल्क द्वारा मालों को बोण्डों में स्वीकार नहीं करते हैं ।

7. **वेयरहाऊसिंग:** वेयरहाऊस में मालों के हस्तन संबंधी सभी कार्मों का शासन सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के पिछले चाप्टर IX द्वारा शासित की जाती है तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 62(1) के अधीन चुने हुए उचित अधिकारी, पोर्ट ट्रस्ट के यातायात प्रबन्धक के नियंत्रणाधीन होगा ।

8. नुकसान के कारण बॉडड मालों का विनाश आदि की क्रियाविधि:

आयातकर्ता जिन्होंने अपने मालों को बॉडड किया है, जब उसे उपभोग के लिए नालायक होने पर सीमाशुल्क समाहर्ता के आदेशानुसार उनका विनाश करने की अनुमति देना चाहिए । ऐसे विनाश की प्रक्रिया एक सीमाशुल्क अधिकारी की उपस्थिति में करना चाहिए । इस संबंध में पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उपभोग किए किसी प्रकार के प्रभार को आयातकर्ता से साधारण मालगोदाम देय के अतिरिक्त वसूल करेंगे ।

9. बोण्ड में मालों को रखने की अवधि : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 के अनुसार, बोण्ड की तारीख से मालगोदाम में माल तीन साल की अवधि के लिए रखेंगे या कोई कम अवधि या बढ़ाई अवधि के लिए जो भी सीमाशुल्क 1962 की धारा 59 के अधीन सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा सीमाशुल्क, 1962 की धारा 61(1) और 61(2) में निर्णय लिए अनुसार इस प्रकार के मामलों के संबंध में और इस कालावधि की समाप्ति पर इन्हें गृह उपयोग के लिए या विदेशी पोर्ट में नौभरण के लिए निष्कासित पडेंगे ।

10. स्वामित्व बदलने पर मालों का वितरण : जब बोण्डड मालों का या उसके अंश का स्वामित्व बदल जाता है तो, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59(1) के अधीन आयातकर्ता द्वारा निष्पादित कर्तव्य दायित्व के अनुसार बशर्ते कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 के उप धारा (3) में प्रबन्ध किए उपबंध को छोडकर लागू रहेगा ।

11. बोण्डड मालों के वितरण का घंटा :

पूर्ण कार्यदिवस में पब्लिक बोण्डड मालगोदाम 5.00 बजे अपराह्न को और शनिवार को 4.00 बजे अपराह्न बन्द करेंगे । यातायात प्रबन्धक द्वारा विशेषत: आदेश दिए बिना पोर्ट ट्रस्ट के परिवहन जगह से पूर्ण कार्य दिवस में अपराह्न 4.00 बजे के बाद या शनिवार को अपराह्न 1.00 बजे के बाद ही बोण्ड के लिए मांग की कारगो का वितरण नहीं दिया जाएगा ।

12. रविवार एवं छुट्टियों के दिन में बॉंडड मालगोदामों से मालों की प्रविष्टि तथा वितरण :

साधारणत: बॉंडड मालगोदाम रविवार एवं छुट्टियों के दिनों पर कारगो की प्रविष्टियां वितरण के लिए खुलते नहीं है । तथापि, इन दिनों में बॉंडकर्ता को प्रविष्टि या वितरण करने की आवश्यकता होती है तो ट्रस्ट के यातायात प्रबन्धक को लिखकर आवेदन देना पडता है जो इन विनियमों के साथ संलग्न की अनुसूची 'ए' में निर्धारित दर पर शुल्क के भुगतान का पालन करके प्रबन्ध करता है बशर्ते कि :

(क) पोर्ट ट्रस्ट के परिवहन जगह से कारगो हटाना : उन दिनों में अनुमत करते हैं या,

(ख) बॉंडड मालगोदाम से वितरित किए कार्गो जहाज़ नौभरण के लिए है जिसकेलिए इन दिनों में काम करने के लिए आवेदन दिया था ।

(ग) अमुक बॉंडकर्ता सीमाशुल्क विभाग से पिछले कार्य दिवस में कम से कम 3.00 बजे अपराह्न पर ही आवश्यक अनुमति मांगता है (या पिछले दिन अगर शनिवार है तो 12 बजे मध्याह्न को) ।

मालगोदामों में मालों की प्रविष्टि तथा नौभरण के लिए मालगोदाम से वितरण सीमाशुल्क पर्यवेक्षण पर चलाना है, जिसे बॉंडकर्ता को सीमाशुल्क विभाग के साथ प्रबन्ध करना है ।

13. कार्य दिवस पर कार्य घंटे के बाद बॉंडड मालगोदाम से मालों की प्रविष्टि या वितरण :

पोर्ट ट्रस्ट के नियंत्रणाधीन के पब्लिक बॉंडड मालगोदाम के साधारण कार्यघंटे रविवार और छुट्टियों को छोडकर 8.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न और 1.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न और शनिवार को 4.00 बजे अपराह्न तक है, तथापि, कार्य घंटे के बाद बॉंडकर्ता प्रविष्टियां वितरण करना चाहता है तो यातायात प्रबन्धक को लिखकर आवेदन देना पडता है जो अनुसूची 'ए' में निर्धारित दर पर शुल्क के भुगतान का पालन करके प्रबन्ध करता है बशर्ते कि :

(क) पोर्ट ट्रस्ट के परिवहन जगह से कार्गो हटाना प्रत्येक अवधि के दौरान अनुमत करते हैं ।

(ख) बॉंड से वितरित किए कार्गो जहाज़ में नौभरण जिसके लिए उस अवधि के दौरान काम करने के लिए आवेदन दिया है ।

(ग) संबंधित बॉंडकर्ता सीमाशुल्क विभाग से पिछले कार्य दिवस (या पिछला दिन अगर शनिवार है तो 12 बजे मध्याह्न को) में कम से कम 3.00 बजे अपराह्न को आवश्यक अनुमति मांगता है ।

नौभरण के लिए मालगोदाम से मालों की प्रविष्टि तथा वितरण सीमाशुल्क के निरीक्षण के अधीन करना है जिसे कि सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्ता के साथ बॉंडकर्ता व्यवस्था कर सकता है ।

14. वारंट नष्ट होना : (i) मालों के लिए जारी की गई सही वारंट के प्रस्तुतीकरण के बिना बॉंड से माल वितरण नहीं करेंगे ।

(ii) अगर जारी की गई असली वारंट नष्ट हो जाती है तो बॉंडकर्ता द्वारा इन विनियमों के साथ संलग्न की अनुसूची 'ख' में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर निम्नलिखित क्रियाविधियों के पालन करने के बाद यातायात प्रबन्धक नकली वारंट जारी करेंगे ।

(क) बॉंडकर्ता के खर्च पर स्थानीय परिचालन में मलयालम तथा अंग्रेज़ी दैनिक समाचार पत्र में वारंटनष्ट होने की बात विज्ञापित करना है ।

(ख) बॉंडकर्ता द्वारा बोर्ड को सही वारंट के प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप होनेवाली सभी नुकसानों से अवगत कराके एवं ऐसे बॉंड के अधीन कर्तव्य पालन पर वास्तविक जमाई की सूचना बोर्ड की सन्तुष्टि के लिए संलग्न फार्म में बॉंड या वचन पत्र में देना पडेगा ।

वारंट के नष्ट संबंधी विज्ञप्ति के अंतिम दिन से सात दिनों के बाद, अगर आवश्यक है तो, नकली वारंट जारी करेंगे ।

अनुसूची ए

(महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48(1) के अधीन निर्धारित)

1. अतिरिक्त समय शुल्क

मद सं.	सेवा का विवरण	देय प्रभार
(i)	कार्यदिवस पर कार्यघंटे के बाद की गई प्रविष्टि या वितरण	30/-रूपये प्रति घंटे या उसके अंश के अधीन प्रत्येक आवेदक से 60/-रूपये का न्यूनतम
(ii)	रविवार या छुट्टियों पर की गई प्रविष्टि या वितरण	60/- रूपये प्रति घंटे या उसके अंश के अधीन प्रत्येक आवेदक से 120.00 रूपये का न्यूनतम

शर्तें :

(i) रविवार और छुट्टियों पर रात पारी को जोडकर अतिरिक्त समयोपरि काम के लिए आवेदन कोई हो तो यातायात प्रबन्धक कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को एवं वार्फ अधीक्षक को प्रतिलिपि देते हुए पिछले कार्यदिवस पर 3.00 बजे के अपराह्न के पहले देना है तथा (ii) रातपारी काम को जोडकर कार्यदिवस पर कामघंटे से अतिरिक्त काम के लिए उसी दिन पर 3.00 बजे अपराह्न तक आवेदन देना है ।

(2) साधारणत: अतिरिक्त समयोपरि काम मध्याह्न 12 बजे और 1.00 बजे अपराह्न, 5.00 बजे अपराह्न और 6.00 बजे अपराह्न, 10.00 बजे अपराह्न और 11.00 बजे अपराह्न, 3.00 बजे पूर्वाह्न और 8.00 बजे पूर्वाह्न के समय नहीं अनुमत करते हैं।

(3) अतिरिक्त समयोपरि काम के आवेदन ऐसे काम के लिए प्रभारित पूर्ण रकम शुल्क के सहित होना है मगर यातायत प्रबन्धक इस प्रकार के भुगतान के लिए तभी अनुमति देंगे जब इस संबंध में आवश्यक गैरंटी प्राप्त करने के बाद बिल के प्रस्तुतीकरण की तारीख से एक हफ्ते के भीतर भुगतान करेंगे ।

(4) ऐसे काम के लिए मांग करनेवाले व्यक्तियों की सेवा सुलभ की हैं या नहीं जानकर प्रत्येक आवेदक को निर्धारित दर पर अतिरिक्त समयोपरि शुल्क की भुगतान करनी पडेगी ।

(5) इन नियमों का लक्ष्य "छुट्टी" माने पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के समक्ष में घोषित करनेवाली छुट्टी और "काम घंटे " माने 8.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न और 1.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न है ।

(6) सार्वजनिक बोंडड मालगोदामों को खुले रखने के लिए ट्रांसिस्ट शेड में बोंड के रूप में आयातीत माल के वितरण के लिए या बोंड से निर्यात कारगो नौभरण के लिए रसीद के आवेदन समयोपरि काम के लिए हकदार नहीं होंगे । इसके लिए पोर्ट ट्रस्ट के नियमानुसार, यातायात प्रबन्धक, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को अलग आवेदन प्रस्तुत करना पडेगा ।

अनुसूची ख

(महा पत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 48(1) के अधीन निर्धारित)

II	वारंट की जारी के लिए प्रभार :		
(i)	बोंड बिल की प्रविष्टि द्वारा मालों के लिए जारी की गई सिंगल वारंट	}	शुक्त
(ii)	बोंड बिल की प्रविष्टि द्वारा प्रत्येक उप- चीज़ों के लिए जारी की गई वारंट	}	एक से अधिक वारंट के लिए प्रत्येक के लिए 4.00/-रूपये
(iii)	सही वारंट खो जाने पर नकली वारंट जारी करने के लिए	}	नकली वारंट की प्रतिलिपि के लिए प्रत्येक के लिए 12.00/- रूपये
(iv)	वारंट द्वारा हस्त मालों के लिए प्रमाणपत्र जारी करने केलिए	}	प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए 12.00/-रूपये

बोंडड मालों के लिए सही वारंट के खो जाने पर, नकली वारंट मांग करनेवाले व्यक्तियों द्वारा निष्पादित करनेवाले क्षतिपूर्ति का फार्म

विनियम 13 (ii) (ख)

हम (या मैं), क,ख, अब .....के और ग एवं घ उसी जगह के कोचिन पोर्ट ट्रस्ट से, उनके उत्तराधिकारी से बाध्य हैं

उक्त पोर्ट, उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान करने की .....रूपये की रकम सौंप देने या हम संयुक्त रूप से और हम स्वयं क्रमानुसार तथा विधिक प्रतिनिधियों से भुगतान करने के लिए बाध्य हैं ।

दिनांक .....इस .....दिन को .....19.....

वारंट जहाँ कि दिनांकित .....दिन .....19 ..... और

.....संख्यावाले .....जिसे कि उक्त पोर्ट ट्रस्ट द्वारा .....

.....के संबंध में जारी किया गया उसे खो दिया है या अनुचित

जगह पर रखा गया है तथा जिसे कि मालों के .....स्वामित्व

ने उक्त वारंट को खो जाने के संबंध में .....समाचार पत्र

में विज्ञापित किया है और उस विज्ञापन के संबंध में कोई उत्तर

नहीं मिला है और उपर्युक्त ने पोर्ट ट्रस्ट को उसी वारंट की

क्षतिपूर्ति पर नकली जारी करने

की सहमति प्रकट की है । जहाँ कि उपर्युक्त .....ने उक्त

के अनुरोध पर .....इसके संबंध में बताए गए शर्तों के अनुसार निष्पादन के लिए प्रतिभू होने की सहमति प्रकट की है । अब उपर्युक्त लिखित बोंड की शर्तें यह है कि अगर ..... और उक्त.....तथा उनके अमुक विधिक प्रतिनिधियों या कोई या उनमें से कोई समय समय पर और सभी समय पर इसके बाद प्रभावी रूप से सुरक्षित रखना और उक्त पोर्ट ट्रस्ट को हानि से सुरक्षित करना,उनके नियत उत्तराधिकारी को सभी मुकदमा, लागत, प्रभार, क्षति, दावा और मांग जो भी हो जिसे कि किसी समय या समय पर उसके बाद लाते हैं पोर्ट ट्रस्ट , उनके उत्तराधिकारी या किसी नियत व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा अभियोग लगाते हैं, बताए गए कारणवश उक्त वारंट को पोर्ट ट्रस्ट द्वारा.....को सौंपा नहीं सके या आंगन से संबंधित किसी मामले पर या कार्य या चीज़ पर, जो भी हो, लिखित बोंड को रद्द और अप्रभावित करना है नहीं तो वह पूर्ण रूप में लागू रहेगा ।

हस्ताक्षरित मुहरबंद और वितरित किया गया ।

सं. बी/2693/68 23 वीं फरवरी, 1970

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 के उप खंड (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल एतत्द्वारा निम्न लिखित विनियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जो बोर्ड द्वारा लगातार दो हफ्ते सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई तथा धारा 124 द्वारा अपेक्षित करने के अनुसार केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त की गई अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोग एवं प्रारंभ :

(i) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (घाटों, जलावतरण-मंचों एवं बोट पेन) विनियम 1968 है ।

(ii) पोर्ट सीमा के अन्दर होनेवाली सभी घाटों, जलावतरण-मंचों एवं बोटपेन के लिए इनका प्रयोग करें ।

(iii) ये 20-12-1968 से प्रवृत्त होंगे ।

2. लाईसेंस शुल्क :

लाईसेंस जारी करने के शुल्क होंगे :

क)	घाट एवं पोतघाट	..	प्रति घाट के लिए प्रति वर्ष 515/-रूपये
ख)	जलावतरण -मंच	..	प्रति जलावतरण -मंच के लिए प्रति वर्ष 453/-रूपये
ग)	बोट पेन	..	प्रति बोट पेन के लिए प्रतिवर्ष 215/-रूपये

उपर्युक्त के अलावा, प्रत्येक आवेदन से घाट/जलावतरण -मंच के लिए 250/- रूपये का निरीक्षण शुल्क उद्ग्रहीत करना पडेगा । निर्माण के लिए मंजूरी देने के पहले पोर्ट लॉचों का इस्तेमाल करके साईट निरीक्षण के लिए पोर्ट सर्वे/मराईन स्टाफ को नियुक्त करना पडेगा ।

वर्तमान दर के 5% वार्षिक वृद्धि के साथ 1-7-96 से संशोधित दर लागू होंगे ।

3. शुल्क की भुगतान तथा लाईसेंस के लिए आवेदन :

वित्तीय सलाहकर एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को पेशगी में लाईसेंस शुल्क अदा करना है तथा इसकी रसीद लाईसेंस के आवेदन के साथ यह बात व्यक्त करते हुए उप संरक्षक, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को समर्पित करना है :

क) मालिक का नाम और पता

ख) हालत, सर्वे संख्या और अन्य विवरण आदि

ग) और कोई संबंधित सूचना

---

* भारतीय राजपत्र के भाग III के खण्ड 4, असाधारण सं. 55 दिनांक 10-11-1998 में प्रकाशित किए अनुसार ।

4. निर्माण की अवधि:

उप संरक्षक, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के संपूर्ण तुष्टीकरण में लाईसेंस की तारीख से 6 महीने के भीतर निर्माण पूरा करना है।

5. घाट आदि का अनुरक्षण :

घाट, नौका शेड और जलावतरण-मंच जो भी हो, उसका अनुरक्षण बेहतर और वास्तविक मरम्मत लाईसेंसदाता द्वारा उप संरक्षक, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के तुष्टीकरण में करना चाहिए। अध्यक्ष, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व मंजूरी के बिना किसी प्रकार के विस्तार या परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

6. घाट आदि का दूरीकरण :

उप संरक्षक, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मांग करने पर, लाईसेंसदाता को लिखित नोटीस प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर कोई प्रतिपूरक के बिना अपने ही खर्च पर घाट, जलावतरण-मंच बोट पेन जो भी हो उसे दूर करना है और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई दूसरे तट अग्रभाग में किसी प्रकार के इमारत स्थापित नहीं करना चाहिए।

7. पोर्ट द्वारा लाईसेंस का रद्दीकरण या घाट नियंत्रण ले लेना आदि :

विलम्ब के या स्थापित करने या पूर्ण करने में चूक के संदर्भ में तथा उपर्तुक्त किसी शर्तों के उल्लंघन पर ट्रस्ट लाईसेंस रद्द कर सकते हैं, घाट के किसी भाग, जलावतरण- मंच या बोट - पेन जो भी हो नियंत्रण कर सकते है या निष्कासित कर सकते हैं तथा या उक्त साइट में निर्मित या उस साइट के दूसरी ओर संस्थापित वृद्धि या स्थापित इमारत को हटा या निष्कासित कर सकते हैं, यह तो संबंधित व्यक्ति के खर्च पर ही कर सकते हैं और लाईसेंसदाता को इमारत स्थापन करने के वजह भूमि पर कोई अधिकार नहीं होगा। उप संरक्षक को ही इसे ठीक करने या निकालने की लागत प्रवृत्त करने या अन्य क्षति लाईसेंस की गलती के फलस्वरूप हटाए गए चीज़ों की बिक्रि कार्यवाही से हुई चूक या उपबन्ध किए गए काम के निष्कासन या अन्य क्षति पोर्ट को संभालना है। मंजूर की गई लाईसेंस, जब कभी रद्द की गई हो, एक साल की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

8. नौ-संचालन के लिए रुकावट से बचाव :

जलावतरण- मंच या बोट पेन को पश्चजल या समुद्र में थोपना नहीं है या स्वतंत्र नौ-संचालन में कोई रुकावट नहीं डालना है। स्वतन्त्र बहाव में रुकावट डालनेवाली घाटों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तट अग्रभाग के किसी भाग का नाश या नुकसान नहीं होना चाहिए जो कि पश्चजल में कोई रुकावट नहीं डालेगी। तट अग्रभाग को क्षति या नाश नहीं करना चाहिए जो पश्चजल या भू क्षरण भूमि फिसल में संभव होती है।

***9. अतिरिक्त शुल्क :**

पिछले लाईसेंस की मान्यता अवधि की समाप्ति पर लाईसेंस शुल्क के विलम्ब शुल्क के लिए प्रति घाट, पोत घाट, जलावतरण - मंच बोट पेन आदि के प्रति महीने या इसके अंश के लिए 20/-रूपये की अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहित किए जाएंगे।

10. शर्तों के पालन करने में चुकौती :

लाईसेंसदाता को उपर्युक्त बताए गए सभी शर्तों का पालन करना चाहिए और इन शर्तों में से किसी का पालन न करने में चूक करने पर लाईसेंस रद्द करने में परिणत होगा।

---

* दिनांक 19-7-1977 की अधिसूचना के तहत जोड़ा गया।

दिनांक 9 वीं अगस्त 1977 के केरल राजपत्र संख्या. 32

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
अधिसूचना

सं.बी 5/5280/71 दिनांक: 6 वीं जुलाई,1977

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 की उप धारा (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट के न्यासी एतत्द्वारा निम्नलिखित विनियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 124 के उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित करने के अनुसार पिछले दो बार प्रकाशित की गई तथा उप धारा (1) द्वारा अपेक्षित करने के अनुसार केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त की गई अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोग एवं जारी :-(1) इन विनियमों का नाम "कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (चीन मत्स्य जाल के लाईसेंस) विनियम, 1976" है ।

2. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के सीमान्दर में स्थित या स्थापित सभी चीन मत्स्य जालों के लिए इनका प्रयोग करें ।

3. ये कार्यालयीन राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

II. परिभाषा : इन विनियमों में, जबकि विषय या संदर्भ में कुछ असंगत है ।

" पोर्ट " अर्थात् कोचिन पोर्ट जिनमें केरल राज्य के संघ निर्धारित किए गए हैं,जिसे कि भारत सरकार के पूर्व परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1-(107)/49 दिनांकित 8-1-1952 में सीमाएं निर्धारित किए गए हैं ।

" अध्यक्ष " अर्थात् कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष से अभिप्रेत है ।

" उप संरक्षक " अर्थात् कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के उप संर क्षक से अभिप्रेत है ।

" जाल " अर्थात् चीन मत्स्य से अभिप्रेत है ।

" अनुज्ञप्तिधारी" अर्थात् एक व्यक्ति जिन्हें चीन मत्स्य जाल स्थापित करने के लिए या निर्माण के लिए मंजूरी देने से अभिप्रेत है ।

III. लाईसेंस मंजूर करनेवाले चीन मत्स्य जाल इन विनियमों के अधीन यथावत् लाईसेंस मंजूर किए बिना मालिक, पट्टेधार, कर्मचारी या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के जाल स्थापित करने, इस्तेमाल करने या अपने अधीन रखने या उसकी ढाँचा पोर्ट सीमा के भीतर नहीं रखना है ।

IV. **लाईसेंस शुल्क और दंडस्वरूप शुल्क** :- (1) आवेदक को प्रत्येक जाल के संबंध में निरीक्षण शुल्क के रूप में 24/- रूपये (चौबीस रूपये मात्र) देय है ।

(2) प्रतिवर्ष या उसके अंश के रूप में लाईसेंस जारी करने के लिए जाल के आकार या स्थान की निरपेक्षता मानकर 144/-रूपये (एक सौ और चौवालीस रूपये मात्र)लाईसेंस शुल्क होंगे । उप संरक्षक, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को सूचना देते हुए वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को लाईसेंस शुल्क देय है ।

(3) लाईसेंस नवीकरण शुल्क के विलम्ब भुगतान के लिए हर महीने या उसके अंश के रूप में 22/-रूपये दंडस्वरूप शुल्क लादना है ।

V. चीन मत्स्य जाल लाईसेंस (1) पोर्ट उप संरक्षक से विनियम III के अधीन जाल लाईसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन विनियम IV(1) के अधीन निर्धारित शुल्क भुगतान रसीद के साथ फार्म 'ए' में करना है ।

(2) लाईसेंस के लिए आवेदन प्राप्त करने पर उप संरक्षक साइट का निरीक्षण करेगा या/ मालिक की उपस्थिति में या मालिक द्वारा यथावत् नियुक्त किए गए और कोई व्यक्तियों की उपस्थिति में निरीक्षण करेगा तथा जाल की स्थापना करने से नौसंचालन या उसके निकटवर्ती जालों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की बात से सन्तुष्ट होने पर फार्म 'बी' में लाईसेंस मंजूर करेगा ।

(3) पोर्ट एवं स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सन्तोष पर अनुज्ञप्तिधारी को परिसर का दुरुपयोग किए बिना सभी समय उसे साफ और स्वास्थ्यपरक रखना चाहिए ।

(4) इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार फार्म 'बी' में जारी किए गए हर लाईसेंस असली जारी करने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए मान्य होंगे और हर साल नवीकृत करने होंगे ।

VI चीन मत्स्य जाल का निर्माण एवं मरम्मत (1) जाल के निर्माण से तटाग्र को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए या जहाज़ पर चढ़ने या चढ़ाने को कटा-फटा करना चाहिए या प्रवाह में बाधा न डालनी चाहिए ।

(2) जाल के निर्माण पश्चजल या समुद्र में नहीं थोपना चाहिए जिससे नौसंचालन में रुकावट डालेगी ।

(3) उप संरक्षक के सन्तोष पर सभी समय जाल बेहतर रूप में रखना चाहिए ।

(4) उप संरक्षक के सन्तोष पर लाईसेंस की तारीख से छः महीने के भीतर निर्माण पूरा करना चाहिए ।

(5) उप संरक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना अनुज्ञप्तिधारी को चीन मत्स्य जाल या उसके स्थिति को बदलना है । सभी मरम्मत और बदलाव के लिए मंजूरी से की गई लिखित अनुमति के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण करना चाहिए ।

VII. मालिक का बदलाव या लाईसेंसन्ड चीन मत्स्य जाल का नियंत्रण

1) अनुज्ञप्तिधारी को पश्चजल की तट में जाल की स्थापना करने के संबंध में स्वामित्व का अधिकार नहीं है ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी को जाल पट्टे में नहीं देना चाहिए ।

(3) लाईसेंस स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए ।

VIII. लाईसेंस रद्द करना

(1) उप संरक्षक की राय में अगर अनुज्ञप्तिधारी ने मत्स्य जाल के किसी भी विनियमों का उल्लंघन किया है तो उप संरक्षक स्पष्टीकरण के लिए उसे बुला सकते हैं तथा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी को चेतावनी जारी करेंगे या उप संरक्षक से इस संबंध में लिखित रूप में सूचना प्राप्त करने के बाद 72 घंटों के भीतर प्रतिपूरक की दावा करने के अधिकार के बिना ही अनुज्ञप्तिधारी से स्थापित की जाल को अपने ही खर्च में हटाने के लिए मांग कर सकते हैं ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी अगर उप संरक्षक द्वारा आदेश दी यथाकथित समय के भीतर स्थापित की जाल दूर करने में असमर्थ हो जाता है तो उप संरक्षक लाईसेंस रद्द कर सकते हैं तथा इसीका नियंत्रण ग्रहण कर सकते हैं और इसे निकालेंगे एवं उप संरक्षक द्वारा समझाने के अनुसार सार्वजनिक नीलाम पर या अन्य दूसरे तरीके पर ढाँचे को निष्कासित कर सकते हैं । इस संबंध में हुए व्ययों को विक्रय आय से वसूल किया जाता है तथा अगर विक्रय आय अपर्याप्त होता है तो शेष रकम जाल मालिकों से वसूल किए जाएंगे ।

IX पोर्ट की देयता : प्राकृतिक कारणों से या अन्य कारणों से जाल को पहुँची कोई क्षति के लिए प्रतिपूरक देयता देने से उन्मुक्त रहेंगे ।

X. अपील : इन विनियमों के अधीन उप संरक्षक के किसी निर्णय के खिलाफ की अपील अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे । ऐसे अपीलों को उप संरक्षक के निर्णय के बाद 72 घंटों के भीतर लिखित रूप में अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करना है और अध्यक्ष के निर्णय अंतिम होंगे ।

फार्म 'ए'

(विनियम V(1) देखिए)

आवेदक का नाम एवं पता :

स्थान एवं सर्वे संख्या :

चीन जाल का विवरण :

घोषणा

मैं .....एतत्द्वारा घोषणा करता हूँ कि महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 46 के अधीन के प्रावधानों को तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमों को अर्थात् " कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (चीन मत्स्य जालों का लाईसेंसिंग) पूर्णतया समझ पाया हूँ । पोर्ट द्वारा चीन मत्स्य जाल के लिए मुझे मंजूरी दी वार्षिक लाईसेंस की कुलबल पर जहाँ कि चीन मत्स्य जाल की ढ़ाँचा स्थापित करने की अनुमति दी पश्चजल क्षेत्रों या पश्चजल तट पर किसी प्रकार के अधिकार के लिए दावा नहीं करूँगा । मैं विनम्र रूप से घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त विनियमों का पालन पूर्णत: करूँगा । मैं, उप संरक्षक या इसके लिए प्राधिकृत दूसरे अधिकारियों के निदेशानुसार प्रतिपूरक की दावा किए बिना पूर्ण ढ़ाँचा या इसके अंश को निकालूँगा ।

मुझे यह भी मालूम है कि इसलिए मंजूर की गई लाईसेंस स्थानान्तरण योग्य नहीं है ।

स्थान:
दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

साक्षी : 1.
2.

फार्म 'बी'

(विनियम V (2) देखिए)

चीन मत्स्य जाल के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लाईसेंस

1. लाईसेंस सं.:
2. आदेश सं.....दिनांक
3. मालिक का नाम और पता
4. चीन जाल का स्थान एवं सर्वे संख्या:
5. इकट्ठा की गई शुल्क
6. जारी करने की तारीख
7. लाईसेंस समाप्ति की तारीख

फार्म 'बी'

(विनियम V (2) देखिए)

चीन मत्स्य जाल के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लाईसेंस

श्री.....को .....स्थान में .....सर्वे नं.....में चीन मत्स्य जाल स्थापित करने के लिए आदेश सं..... दिनांकित .....के तौर पर लाईसेंस संख्या..... एतत्द्वारा मंजूर की जाती है । लाईसेंसिंग शुल्क की ओर .....पर .....रूपये की रकम (.....रूपये मात्र) इकट्ठा की गई है । लाईसेंस .....तक की अवधि के लिए मान्य है ।

दिनांक

उपसंरक्षक

केरल सरकार 1975

पंजीकरण संख्या. ट. 107

केरल अधिसूचना

असाधारण

प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित

(वोल्यम. II) तिरुवनन्तपुरम, शनिवार, 1 फरवरी, 1975 (संख्या. 54

12 मेघा 1896

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

अधिसूचना

संख्या. बी-2191/75 दिनांक : 1 फरवरी, 1975

दिनांक 14-9-1953 की अधिसूचना संख्या 6-पी11(61)/52, दिनांक 20.7.1953 के 6-पी 11(43)/53, दिनांक 22-6-1949 के 19.पी(38)/47-1 दिनांक 22-6-1949 के 19 पी(38)/47-11., दिनांक 16-6-1953 के 6-पी 11(65/51 अधिसूचनाओं तथा भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय के भारतीय पोर्टस अधिनियम 1908 की धारा 6, उपधारा (I) में तथा निर्माण, आवास तथा आपूर्ति मंत्रालय के पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 29, उपधारा(I) तथा धारा 4 के दिनांक 29.7.57 की एस.आर.ओ.संख्या 25/8 की प्रतिस्थापना करते हुए महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की सं 38) की धारा 123 की उपधारा (एफ) से (ओ) तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न लिखित विनियम सार्वजनिक की सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है । ये दो बार उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के अनुसार अपेक्षित प्रकार प्रकाशित की गयी थी तथा उसका केन्द्रीय सरकार की अनुमति भी उसकी उपधारा (I) में अपेक्षित प्रकार मिली थी अर्थात :-

1. प्राथमिक

1. संक्षिप्त नाम : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कोचिन पोर्ट तथा गोदी विनियम 1975 है। (33/187 एम सी)
2. परिभाषाएं : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
   1) "अधिनियम" से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है ।
   2) "बोर्ड" से अधिनियम के अधीन कोचिन पोर्ट के लिए गठित न्यासी मंडल अभिप्रेत है ;
   3) "खुला तेल पोत" से जहाज़ीमाल के रूप में पेट्रोलियम को अधिक मात्रा में वहन करने में लाइसन्स प्राप्त जलयान से अभिप्रेत है ;

4) " अध्यक्ष " , " उपाध्यक्ष " , " गोदी", " जलयान", " मास्टर", " मालिक" तथा " माल" शब्दों का वही अर्थ है जो महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 में निहित है ;

5) " उप संरक्षक " से उसी अधिकारी अभिप्रेत है जो फिलहाल समुद्री विभाग का प्रभारी हो तथा हार्बर मास्टर या कोई भी अधिकारी या अधिकारियों जो उप संरक्षक के अधीन में हो ;

6) "बहिष्कृत पेट्रोलियम " से मतलब उस पेट्रोलियम से है जिसका दमकांक 93 ^{0}से कम हो ;

7) " वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी" का मतलब उस अधिकारी से हैजो फिलहाल लेखा विभाग का प्रभारी हो, जिसके अधीन में वित्तीय सलाहकार तथा लेखा अधिकारी के प्रतिनिधि तथा सहायक भी सम्मिलित है साथ ही वित्तीय सलाहकार तथा लेखा अधिकारी के अधीन के किसी भी अधिकारी तथा अधिकारियां भी शामिल है ;

8) पेट्रोलियम का "दमकांक" से तात्पर्य उस निम्नतम तापांक से है जहां भाप निकलता है, जिससे एक क्षण भर केलिए ज्वलन पर कौंध होता है ;

9) "इंधन तेल " उस पेट्रोलियम से अभिप्रेत है जिसका दमकांक 65 सेन्टीग्रेड से कम न हो ;

10) " गैस मुक्त प्रमाण पत्र" केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया जाता है कि जलयान पूर्ण रूप से साफ है तथा पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील भाप से मुक्त है ।

11) "मोटोर वाहन" का मतलब उस गाडी से है जो मेकानिकल माध्यम द्वकेल किया हो ।

12) "पेट्रोलियम " से तात्पर्य है कोई भी द्रव हाइड्रोकारबन या हाइड्रोकारबनों का मिश्रण हो तथा किसी भी तरह का ज्वलनशील मिश्रण हो (द्रव, विसकस या घनिभूत) जिसमें कोई हाइड्रोकारबन द्रव सम्मिलित हो ।

13) पेट्रोलियम "श्रेणी 4 " का मतलब उस पेट्रोलियम से है जिसका ज्वलनांक 23 सेन्टीग्रेड से कम हो ।

14) " पेट्रोलियम श्रेणी बी " का मतलब उस पेट्रोलियम से है जिसका ज्वलनांक 23 सेन्टीग्रेड तथा ज्यादा हो लेकिन 65 सेन्टीग्रेड से कम हो ।

15) " पेट्रोलियम श्रेणी सी " से तात्पर्य उस पेट्रोलियम से है जिसका ज्वलनांक 65 सेन्टीग्रेड या उससे ज्यादा हो लेकिन 93 सेन्टीग्रेड से कम हो ।

16) "अधिक मात्रा में पेट्रोलियम" से तात्पर्य उस पेट्रोलियम से है जो 1000 लिटर धारिता पात्र में हो ।

17) "पेट्रोलियम जलयान " से तात्पर्य उस जलयान से है जो 2500 लिटर से ज्यादा पेट्रोलियम क्लास 'ए' या पेट्रोलियम क्लास 'बी '(बंकरों को छोडकर) का धारण करता है ।

18) पोर्ट का मतलब "कोच्चिन महा पोर्ट ' ' से है ।

19) "यातायात प्रबन्धक " का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो फिलहाल यातायात विभाग का प्रभारी हो जिसके अधीन में यातायात के प्रतिनिधि तथा सहायक के अलावा यातायात अधिकारी के अधीन के किसी भी अधिकारी या अधिकारियों सम्मिलित है ।

20) "गाड़ी" से मतलब है किसी भी तरह की गाडी लोरी,ट्रक या पहिएदार आविष्कार जो मनुष्यों या सामानों के परिवहन के लिए सड़क पर इस्तेमाल की जाती है ।

II. सामान्य

3. पोर्ट अधिकारियों के कोई व्यवहार या चूक पर बोर्ड का उत्तरदायित्व नहीं है :- पोर्ट अधिकारी या उप संरक्षक या हार्बर मास्टर या उपर्युक्त किसी भी अधिकारियों के उप या सहायक या उच्च अधिकारियों के अधीन या निर्देश पर काम करनेवाले किसी भी उप , सहायक या किसी भी पैलट व्यवहार या चूक का या बोर्ड से संबंधित कोई बोध, तीनयान, या कोई अन्य सामग्रियाँ जो जलयान द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, में कोई चूक होने के परिणामस्वरूप किसी जलयान को कोई नुकसान पहुँचेगा तो उसकी जिम्मेदारी बोर्ड को नहीं है ।

III. पोर्ट में जलयान का प्रवेश

4. जलयान के अनुमानित आगमन की सूचना :- जब जलयान पोर्ट में प्रवेश करने की संभावना है , उसकी सूचना पहले जल्दी से जल्दी निश्चित प्रपत्र में पोर्ट उप संरक्षक को जलयान का मास्टर स्वामी या एजन्ट द्वारा भेजना है, जिसमें उस खास घाट के बारे में उल्लिखित करना है जहाँ जलयान दखल करना चाहता है ; लेकिन उस प्रकार उल्लिखित करने से किसी भी विशेष घाट का वह हकदार नहीं है । साथ साथ उस प्रकार की सूचनाओं की प्रतिलिपियाँ यातायात प्रबन्धम तथा हार्बर मास्टर को भी भेजनी पड़ता है ।

5. घाटों का आबंटन, दखल तथा खाली करना :- घाट का आबंटन यातायात प्रबन्धक के विवेचानुसार होगा । अपने विवेचन का प्रयोग करने में निम्न नियमों का अनुसरण करना होगा अर्थात :-

1) जलयान के घाट का प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिए कि :- (i) जब जलयान के एजन्ट ने किसी खास घाट के लिए वरीयता मांगी तो यातायात प्रबन्धक जहाँ तक संभव हो देय देना है, तथा अपेक्षित घाट का आबंटन करना जहाँ संभव न हो उसकी सूचना एजन्ट को पहुँचा देना होगा ।

ii) शेष सारी बातें समान ही है तो पोर्ट में पहले सिगनल स्टेशन को रिपोर्ट देनेवाले जलयान को घाट के आबंटन में प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि खिचाव तथा दूसरी सारी समुद्री परिस्थितियाँ लंगर- स्थल पर अवतरण के लिए उसके अनुकूल हो ।

iii) यात्री स्टीमरों पशु-धन का उतराव-चढ़ाव करनेवाले जलयानों की अपेक्षा सरकारी

जलयानों को जो फौजों का उतराव -चढ़ाव करते हैं या सरकारी माल का उतराव-चढ़ाव करते हैं अधिभाषी वरीयता देनी चाहिए ।

iv) अन्य कारण साधारण होने पर आबंटन इस प्रकार करना है कि पोर्ट का कोई नष्ट न हो ।

टिप्पणी :- 1. जलयान के लिए सुरक्षित बांध की प्राथमिकता बांध के विकल्प में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता । उस प्रकार का विकल्प कार्यकारी प्रबन्धों पर निर्भर रहता है ।

टिप्पणी:- 2 (क) पोर्ट में लंगर डाले किसी जलयान का मुख्य बॉयलर में अग्नि जलाने या 12 घंटे से अधिक समय भाप उत्पन्न करके मरम्मत कार्य पोर्ट के उप संरक्षक के अनुमति के बिना नहीं कर सकते , तथा जलयान के मास्टर या एजन्ट द्वारा लिखित अनुमति लेनी होगी । यातायात प्रबन्धक से परामर्श करके उप संरक्षक द्वारा ऐसी अनुमति दी जाएगी ।

ख) यदि जलयान किसी न किसी दिन निम्न प्रकार निश्चित मात्रा में सामान रिक्त करने या भरने में असमर्थ हो जाय तो (वातावरण मज़दूरों का हडताल जैसे कारणों को छोडकर) सूचना मिलने के 24 घंटों के अंतर अपना घाट खाली करने यातायात प्रबंधक उस जलयान से पूछ सकता है । तथा दूसरे प्रतीक्षित जलयान उसके स्थान पर आना चाहता है तो वह जलयान निश्चित अवधि में स्थल खाली करना है ।

(i) निर्यात जलयान को रोज़ कुल मिलाकर कम से कम 50 टन सामान नौभार या 100 टन थैली नौभार से समान मात्रा में हर कार्य फल्के पर भरना है ।

(ii) रिक्त करनेवाला हर सामान्य नौभार जलयान को हर एक कार्य फल्के पर हर रोज़ कम से कम 50 टन से समान कुल मात्रा में रिक्त करना है ।

(iii) जलयान जो आयात थैली नौभार को रिक्त करता है, रोज़ कम से कम 150 टन से समान मात्रा हर कार्य फल्के पर रिक्त कर देता है ।

व्याख्या:- इस उप विनियम के उद्देश्य में " दिन "का मतलब सबेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक के 24 घंटे हैं ।

इस उप विनियम में ऐसा कुछ नहीं है कि जलयान, जो नौभार उतरनेवाला हो या भरनेवाला हो ऊपर कहे हुए मात्रा से कम होने पर भी घाट में प्रवेश करने में या पोर्ट के अन्य उचित सुविधाओं के उपयोग करने से ,का निरोध नहीं किया जा सकता ।

टिप्पणी:- 3. ऊपर कहे घाट के नियतन की प्राथमिकता के उपबन्धों के होते हुए भी यातायात प्रबन्धक जलयानों को किसी न किसी रीति में बांधने का विवेचन होगा यदि वह महसूस करेगा कि उस रीति से घाटों का अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या उस रीति से नौवहन के साधारण हितों के लिए लाभदायक हो सकता है ।

6. सार्वजनिक हित के अनुसार घाट के आबंटन में प्राथमिकता:- पूर्ववर्ती विनियमों में जो कुछ निहित है उसके बावजूद कोई जलयान या जलयानों को घाट के आबंटन में प्राथमिकता देने का निर्देश बोर्ड द्वारा दिया जा सकता है । यदि ऐसा करना लोकहित के लिए वांछनीय होने का विचार है तो ।

* इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड निम्नांकित द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा, अर्थात् :

1)ये अधिकार, जो प्रकृति में दमन कर रहे हैं, सार्वजनिक हित में बोर्ड का निदेश वारंट करने पर ही उपयोग किए जाएंगे ।

2)विनियम 5 के अनुसार यातायात प्रबन्धक के निर्णय में हाथ डालने की अनिवार्यता होने पर ही बोर्ड द्वाराऐसा निदेश दिया जाएगा ।

3)माल जैसे चीनी, तेल, खाद्यान्न, सुरक्षा माल आदि से घाट में पहुँचनेवाले जलयानों को नर्थ के आबंटन में प्राथमिकता सम्बन्धी सरकारी निदेशों केलिए अभिभावी प्राथमिकता होगी ।

4)विशेष प्रकार के माल/जहाज़ केलिए प्रतिस्थापित घाटों के आबंटन केलिए अनावश्यक रूप से भंग नहीं करेगा ।

5)कोई भी घाट/घाट समूह के संबन्ध में प्राथमिकताएं निदेश ज़ारी करने के पहले दी जाएगी ।

6) साधारणतया प्राथमिकता बर्थिंग यातायात प्रबन्धक तथा उप संरक्षक से परामर्श करके किय जाएगा ।

7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पोर्ट में पहुँचनेवाले जहाज़ों के एजन्टों या मालिकों केलिए कोई अपरिहार्य कठिनाई नहीं होगी ।

7. घाट का आबंटन इनकार करना :- यदि यातायात प्रबन्धक या उप संरक्षक को ऐसा लग जाए कि जलयान के लिए घाट का आबंटन न करना अच्छा है, तो वह यह प्रश्न बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है तथा अध्यक्ष की राय मिलने तक घाट का आबंटन नहीं कर सकता । अध्यक्ष के निर्णय मिलने के बाद घाट लगाना समिति में कारण बताना पडता है यदि आवश्यकता पडने पर स्टीमर एजन्ट को लिखकर भी देना पडता है ।

8. (क) जलयान के कप्तान मास्टर होगा :- एक जलयान घाट पर प्रवेश करने या छोड़ने या एक स्थल से दूसरे स्थल पर नहीं दिया जा सकता, यदि जलयान का मास्टर या मुख्य अधिकारी जो मास्टर प्रमाण पत्र धारण करता है बोर्ड पर नहीं है तो और ठीक कप्तान पर नहीं है तो । कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियों में जो कि कप्तान की तीव्र बीमारी या मृत्यु हो जाने से उप संरक्षक को कुछ विशेष तैयारियाँ करना पडता है ।

(ख) उप संरक्षक के आदेश आदि का कार्यान्वयन करना :- जलयानों के मास्टरों तथा मालिकों को परिक्रमण तथा पोर्ट प्रवेश द्वार पर प्रवेश करने का ढंग तथा पोर्ट से आने जाने की रीति के बारे में उप संरक्षक के सभी निर्देशों का पालन करना पडता है ।

9. सूखी नौभार वार्फ घाटों पर नीरम में टैंकरों का घाट लगाना :- जलयान खतरनाक भाप से मुक्त है ऐसा एक प्रमाण पत्र विस्फोटक के निरीक्षक द्वारा देने तक टैंकर्स को सूखी नौभार वार्फ घाट पर लंगर नहीं डाला जा सकता ।

बशर्ते कि अधिक मात्रा में पेट्रोलियम के लिए उपयोगी जलयान जो पिछले गैस मुक्त प्रमाण पत्र मिलने तक 65

---

* 29.10.91 से 5.11.91 तक केरल राजपत्र में अधिसूचित सचिवालय के पत्र संख्या बी 2/168/91/5 दिनांक 5.12.91 के अनुसार प्रतिस्थापित

सेन्टीग्रेड से कम दमनांक पर है, जलयान के कप्तान द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया जाता है कि टैंक तो अच्छी तरह साफ कर ली गई है :

10. जलयान भाप के अन्तर्गत हो या रस्सी द्वारा सहायता प्राप्त हो :- जलयान को पोर्ट की नाली या प्रवेश द्वार पर नौचालित नहीं किया जा सकता, यदि मुख्य इंजन या आवश्यकता पड़ने पर अच्छा भाप या मोटोर टग या टग द्वारा सहायता प्राप्त न कर सकें । मास्टर या मालिक द्वारा उपबंध की गई धकेलने की शक्ति आवश्यक मात्रा में नहीं है तो या उप संरक्षक समझता है कि ऐसा करना अच्छा है तो बोर्ड का टग तथा कोई अन्य उपलब्ध टग या टगों का जो घाट लगाने या उतारने के लिए या प्रवेश द्वार पर जलयान के नौचालन के लिए उपयोगी टग का भी प्रयोग कर सकता है । उस प्रकार के जलयान के मास्टर या मालिकों टग का किराया देना पडता है जो कि समय समय पर बोर्ड द्वारा नियत किया हुआ हो तथा उस प्रकार के उपयोगी सभी टग मालिकों को उसी दर पर किराया देना पडता है जो साधारणतया उस प्रकार के काम के लिए प्रभार किया जाता है ।

11. रस्सी, तीन-पान आदि की आपूर्ति :- घाट या गोदी पर घाट लगाने के लिए नाली पर प्रवेश करते जलयान को स्टील वयर, तीन-पान, 40 फादम से कम नहीं होनेवाली रस्सी आदि से घसीटते समय क्षति से सुरक्षित करने के लिए अंगवाड़, चपलान आदि की भी तैयारियाँ रखनी चाहिए ।

12. जलयान के लिए आवश्यक मात्रा में कर्मीदल, उपकरण आदि बोर्ड पर होना :- पोर्ट तथा पोर्ट नाली में आने तथा जानेवाले जलयान की सुविधा के लिए जलयान के मास्टर तथा मालिक आवश्यक मात्रा में कर्मीदलों को नियुक्त करता है तथा आवश्यक उपकरणों को तैयार कर रखना है । यदि कोई कमी आ गई है या आवश्यकता पडने पर उप संरक्षक अपने विवेचन के अनुसार कार्मिकों को नियुक्त कर सकता है तथा आवश्यकतानुसार उपकरणों को मास्टर या मालिकों के खर्च पर उपलब्ध भी करा सकता है ।

13. लंगर को तैयार रखना : - पोर्ट में जलयान आते जाते या चलते समय दोनों लंगरों को एक मिनट सूचना पर तैयार रखना है ।

14. लंगर का लगा देना :- जलयान के लंगर स्थल पर घाट लगाने के तुरंत बाद पोर्ट पर रहने के समय तक लंगरों में से एक को अच्छी तरह लगा देता है (दूसरा घाट लगाने के समय जाने दिया जाता है) इस प्रकार की उसका कोई प्रक्षेप जलयान के पार्श्व के रस्सी से बाहर न खडा हो ।

15. जलयान के पार्श्व से प्रक्षेप :- जलयान जब प्रवेश करता है, लौट जाता है, चलता है या घाट पर खडा करता है, उसके पार्श्व सभी प्रक्षेपों से मुक्त होना चाहिए । उनकी नौकाएं , डेविट, तथा डेरिक्स बोर्ड पर , लटकाए जाएंगे । दंडों के अन्दर उनके यार्ड बाँधे या खडे किए जाएगे तथा सीढ़ियाँ हटायी जाएगी ।

16. दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी मास्टरों आदि पर :- इन विनियमों में विहित किसी भी सतर्कताओं को स्वीकार न करने के परिणामस्वरूप होनेवाली दुर्घटानाओं के लिए जिम्मेदारी जलयानों के मास्टर या मालिकों पर होगी ।

17. नाली के बाहर खडे जलयानों को निकाल देना :- उप संरक्षक की अपेक्षा के अनुसार प्रवेश द्वार के पास या

बाहर खड़े जलयानों को मास्टर या मालिकों द्वारा निकाल कर देना है । यदि जलयानों का हटा ठीक तरह नहीं चलता तो उप संरक्षक के निर्देश तथा आदेशों के अनुसार जलयान के मास्टर या मालिकों के खर्च तथा जोखिम से निकाल किए जा सकते हैं ।

18. घाट लगाते या उतारते समय जलयान सीधा होना :- घाट से उतारते समय या चढ़ाते समय घाटों के बगल में जलयान का सीधा होना है ।

19. मास्टर आदि अपने जलयान को अपने घाट पर लगा देना है :- यातायात प्रबंधक के निर्णय के अनुसार जलयान का किस वार्फ पर घाट लगाना है निश्चय किया जाता है तथा प्रवाह में किस घाट पर लगाना है इसका निर्णय उप संरक्षक द्वारा किया जाता है तथा मास्टर या मालिक अपनी जिम्मेदारी पर जलयानों को घाट पर लगा देता है । जहाज़ का पाइलट साधारणतया सभी जलयानों को एक नाली से निश्चित घाट तक आने जाने या पोर्ट के एक घाट से दूसरे घाट तक चलने में सहारा करता है । बोर्ड पर जीवन या संपत्ती की रक्षा के लिए सभी पूर्वापाय मास्टर आदि द्वारा ले जाना है ।

20. बोर्ड पर जीवन या संपत्ती की रक्षा के लिए सभी पूर्वापाय मास्टर आदि द्वारा ले लाना है :- (अ) जलयान जब पोर्ट में प्रवेश करता है वह मास्टर या मालिक के अधीन में होता है तथा यह देखना उनकी जिम्मेदारी है कि प्रयोग में न होते समय सभी सीढ़ियां सुरक्षित है, सभी फलका मुख सुरक्षित है तथा जीवन व संपत्ती को सुरक्षित करने के अनुरूप ढका हुआ है; प्रयोग में होते समय वह अच्छी तरह प्रदीज हुआ है ताकि कोई व्यक्ति या व्यक्तियाँ उसमें न गिरे ।

(आ) पोर्ट में यदि किसी जलयान का ताप जुडाई प्रचालन चलती है तो मास्टर या मालिक या स्टीमर एजन्ट को उप संरक्षक की अनुमति मिलनी है । प्रचालन के समय मास्टर या मालिक की जिम्मेदारी होती है कि अग्निशमन के लिए सतर्कता रखना (सभी ज्वलनशील सामानों को निकट से ले जाना तथा अग्निशमन यंत्रों एवं अग्नि नलों को तैयार रखना) और एक प्रमुख व्यक्ति को इनका निरीक्षण करना पडता है ।

21. पोर्ट में मूरिंग, अनमूरिंग तथा जलयानों का चालन :- जलयान के मास्टरों, मालिकों तथा टिंडल्स एवं लांचस, बारजस, कार्गो के छोटे क्राफ्ट के प्रभारी आदमियों को उप संरक्षक या उनके सहायकों के मूरिंग, अनमूरिंग या पोर्ट में जलयान के चलन से सम्बन्धित निदेशों का पालन करना है तथा कोई बाधा नहीं डालना है लांच, बार्जे, नौभार नाव या दूसरे छोटे जलयान आदि को मूर करने या दाहिनी ओर एक पार्श्व पर एक पंक्ति में केवल तीन के अलावा, पडे न रह सकते । उप संरक्षक विनियमों की परिधि में जो कुछ लागू समझते हैं, कर सकते हैं, लांच, बार्जे, नौभार नाव या दूसरे छोटे जलयान को छोड़कर एक जलयान को अपनी घाट से पूर्व सूचना के बिना चल नहीं सकता क्योंकि उनके लौटाने की रीति तथा समय पहले से ही निश्चित किया गया है । आवश्यकता पडने पर उप संरक्षक अपने आदेशों को लागू करने

के लिए जो कुछ उचित समझता है, कर सकता है । वैसे करने से जो कुछ खर्च होता है वह किसी दंड की पूर्वाग्रह क्षति के बिना जलयान के मास्टर या मालिक द्वारा भुगतान करना पड़ता है । जलयान के मास्टर को उप संरक्षक से जलयान की भार स्थिति जान लेना है ।

22. मूरिंग ठीक तरह से करना है :- घाट के पास खड़े जलयान के मास्टर या मालिक अपने जलयान के रस्सी या तीनपान एक जगह से या किसी भी तरह ध्रुत होने की अनुमति नहीं देते, लेकिन सामसन पोस्ट्स, बोल्लाडस, मूरिंग पोस्ट्स, क्लीट, रिंग बोल्ट या अन्य उपकरण इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्था किए गए ।

23. जलयान सक्षम व्यक्तियों के अधीन में होना है :- जब पोर्ट में जलयान स्थित है, मास्टर, मालिक या दूसरे उत्तरदायी अधिकारी एवं काफी कर्मीदल को पोत पर होना है ताकि नौभार से सामान उतारने तथा चढ़ाने का निरीक्षण करके निर्देश दें ।

24. डेक पर पत्तरेदार को रखना :- पोर्ट के जलयान में एक क्वार्टर मास्टर या पत्तरेदार को डक में होना आवश्यक है जो जलयान के शोर तागड के प्रभारी होता है तथा मूरिंग के समय आवश्यकता पड़ने पर रस्सी की व्यवस्था, विशेषत: प्रवाह बर्थ में मूरिंग करते जलयान के अगवाड तथा पिछले मूरिंग तीनपान तथा रस्सी से संबंधित काम करते समय तथा किसी भी जलयान के अडजसेन्ट स्ट्रोम बर्थ को छोड जाती है । उसके अभाव में यदि कोई क्षति आ जाय तो उसकी जिम्मेदारी मास्टर या मालिक पर होती है ।

25. जलयान का प्रोप्पलर चलाने नहीं देना :- (क) पोर्ट के स्ट्रोम बर्थ में या बगल में जब एक जलयान घाट लगा देता है , तो उसका प्रोप्पलर ऊर्जा या हाथ से उप संरक्षक के बिना लिखित अनुमति नहीं चलाने देना चाहिए तथा उसके निर्देश एवं शर्तों के आधार पर होगा ।

(ख) किसी भी खतरा की जिम्मेदारी मास्टर या मालिकों पर होती हैं । उप विनियम (अ) के अधीन अनुमति के प्राप्त होने के बाद भी प्रोप्पलर हाथ या ऊर्जा से चलाते हैं तथा कोई आपत्ति आ जाय तो जिम्मेदारी मास्टर या मालिक पर होती है ।

26. टपकाए लंगर या गियर को निकालना है :- पोर्ट में जलयान से पोत पर टपकाए हुए किसी भी लंगर या गियर का तुरंत बोयिंग का उत्तरदायी जलयान का मास्टर या मालिक होता है तथा ऐसे लंगर या गियर को पानी से तुरंत निकालने की कार्रवाई करना पड़ता है ।

27. जलयानों को अच्छी तरह नीरम करना है :- पोर्ट के जलयानों को इस प्रकार भरना है या नीरम करना है ताकि अग्नि या दूसरे आपात समय पर उसको किसी हानि के बिना सुरक्षित रूप से घाट से अलग किया जा सकता है ।

28. जलयानों का मरम्मत कर देना :- (1) जलयान को उचित घाट मिले बिना मरम्मत का काम नहीं किया जा सकता । जलयान के मालिक, मास्टर या प्रभारी आदमी मरम्मत की शुरुआत नहीं कर सकता बशर्ते उसमें नंगे लाइट, इस प्रकार भरना है या नीरस करना है ताकि गैस कतरन या वेलडिंग उपकरणों, टैंकों या इंधन भंडारण टैंक में आदमियों का प्रवेश, ऐसे टैंक जहाँ पेट्रोलियम रखा हुआ है, मालिक मास्टर या जलयान के प्रभारी आदमियों को विस्फोटक निरीक्षक से भाष्प मुक्त प्रमाण पत्र मिलना है । इस विनियम के उल्लंघन करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि या क्षति होने पर जलयान के मालिक मास्टर या दूसरे प्रभारी आदमियों द्वारा वहन करना पडता है ।

(2) जब जलयान के नौभार से भार उतारने या भरने की आवश्यकता पडने पर इस विनियम के अनुसार दिए हुए घाट को उचित वार्फ या प्रवाह बर्थ मिलने पर खाली कर देना है ।

(3) पोर्ट में जब एक जलयान मरम्मत पर है तो मरम्मत करते समय किसी भी ओवर साइड पाइप को खुले रखने की आवश्यकता पडने पर वह पाइप तभी सुरक्षित होता है जब शून्य होता है । यदि ओवरसाइड पाइप शून्य नहीं किया जा सकता तथा सुरक्षित रखा नहीं सकता तो उसको खुले नहीं रखना है सतर्क रखने में कोई उपेक्षा किया जाय तथा जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना आ जाय तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मास्टर या जलयान के प्रभारी अधिकारी तथा मालिकों पर होता है ।

(4) जलयान का मरम्मत करना है तो इस प्रकार करना है कि छालन, स्केलिंग, लकडी या लोहे के टुकडे जैसी छोटी मोटी वस्तुएं पानी पर गिरने नहीं देना है तथा एक कानवास चूट या स्टार्गिंग स्थापित करना है ताकि उपर्युक्त प्रकार के छोटी-मोटी वस्तुएं नीचे गिरने से रोक किए जा सकते हैं । रात को 9.30 बजे से सुबह 6.00 बजे तक के समय में ज्यादा आवास करनेवाले छीलन तथा मरम्मत पर यातायात प्रबन्धक या उप संरक्षक चाहे तो निषेध लगा सकते हैं ।

29. जलयानों के बोर्ड पर ज्वलनशील साधनों का उपयोग :. उप संरक्षक या यातायात प्रबन्धक द्वारा निश्चित स्थल तथा रीति को छोडकर दोलन धूना चरबी या अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को किसी भी प्रकार घाट के पोत या जलयान पर पिछलने नहीं देना है या पिच, टार , तेल , फ्लाक्स, ओकम, फुआल, छीलन या दूसरे ज्वलनशील चीज़ों को जलयान के किसी भी डेक ,घाट , वार्फ या सडक पर रहने नहीं देना ।

30. चीज़ों को गिरने नहीं देना :- पोर्ट की परिधि में किसी भी जलयान, घाट या बंगसार से नौभार, या कोई भी चीज को गिरने नहीं देना चाहिए ऊपर कही गयी चीज़ें नौभार आदि पानी में फेंक गयी या गिर जायी तो उसकी जिम्मेदारी उन व्यक्तियों, मास्टर या नौभरक के मालिक पर होती है जो नौभार चीज़ या वस्तुओं के उस समय के प्रभारी होता है ; फलस्वरूप जो नुकसान या क्षति हुई है उसका उत्तरदायित्व भी उन पर होता है ।

31. माल, रद्दी माल आदि पानी में गिर जाने पर उसकी सूचना देना तथा ऐसे माल आदि की वसूली :-

(1) पोर्ट की परिधि में जलयान बंगसार या घाट से किसी भी नौभार, माल या कोई भी चीज़ गिर जाय तो

सामान भरते या उतारते किसी भी व्यक्ति, या जलयान का मास्टर, मालिक या नौभरक तुरंत यातायात प्रबन्धक या उप संरक्षक की स्थल तथा उससे संबंधित पूर्ण विवरण देना है ताकि वह नौभार माल आदि का पानि से निकालने के लिए उपाय किए जा सकते हैं ।

(2) उस प्रकार के नौभार, माल या चीज़ों का उप संरक्षक को सूचना देने के 18 घंटे के भीतर पानी से मास्टर, मालिक या नौभरक लेते नहीं तो उप संरक्षक को वैसे नौभार, माल या चीज़ों को उन व्यक्तियों, मास्टर, मालिक या नौभरक की खर्च पर उठा सकते हैं , वैसे खर्च की गयी रकम पर कोई सज़ा तो नहीं है ।

32. अनुमति के बिना घाट पर राख, रद्दी माल आदि का धमा न करना :- कोई भी व्यक्ति यातायात प्रबन्धक से अनुमति के बिना वार्फ या घाट, बंगसार के परिसर पर राख, नीरम टोकरी, बोतल, सिन्डेर्स, गंदा, खाद्य, धूल, कूडा, रद्दीमाल, छीलन , पथर, छोटी मोटी वस्तुएं डाल नहीं सकता ।

33. चीज़ों को पानी में गिरने से रोकना तथा राख आदि का निपटान :- राख,नीरम,ईंट,सिन्डेर्स, कोयला, धूल, चूना, रद्दी माल, पटरा , पथर, खपरैल या इस प्रकार की छोटी-मोटी चीज़ों के लादन करते तथा उतारते समय जलयान के मास्टर, मालिक या नौभरक उस समय उप संरक्षक के संतोषानुसार एक कानवास कपडा या लकडी चूट का उपयोग करना है । यातायात प्रबन्धक के निर्देश के अनुसार राख, सिन्डेर्स, धूल तथा रद्दी माल आदि चीज़ों को घाट पर अवतरण करना है जहां से उनको जलयान के मास्टर या मालिक के खर्च पर गाड़ी पर लिया जाएगा ।

34. गंदा पानी आदि का जहाज़ पर पंप नहीं करना :- नीरम, राख, पथर, रद्दी माल, मैल, तेल, तेली नीरम पानी, गंदा पानी या जो कुछ भी चीज़ हो जो पानी को गंदा बनाती है उनको पोर्ट की परिधि में किसी भी घाट या बंगसार में फेंक, जलयान से उतारने ,राख लेने, खाली राख लेने या लीक होने या बहा नहीं सकते हैं ।

35. नितल आदि की सफाई :- नितल को सफाई करने से पहले पानी से साफ करना है । उनको तथा टैंक को सफाई के लिए या, दूसरा कोई उद्देश्य हो, आदमियों के प्रवेश करने से एक घंटे के पहले खुला रखना है । सफाई करनेवाले लोग या दूसरे लोग नितल, टैंक या जहाज़ के कोई भी स्थल पर काम करते समय, उस प्रकार के नितल, टैंक या काम करने का जो भी स्थल हो शुद्ध वायु का लगातार संचार के लिए वायु संचालन पंखों, जो दूर स्थल तक पहुँचने योग्य बडे होज़ पाइप सहित है, को रखना चाहिए । पूर्वाविधान की उपेक्षा करने से जो दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी जलयान के मालिक या मास्टर पर होती है ।

36. जलयान के डेक से प्रक्षेप:- पोर्ट में किसी भी जलयान के प्रक्षेप से दूसरे जलयान से माल के लादने तथा उतारने में कोई बाधा पहुँचेगी तो यातायात प्रबंधक की मांग पर उसको निकालना चाहिए ।

द्वारा रिपोर्ट करना है । यदि यह रिपोर्ट संकेत द्वारा दिया जाता है तो लिखित रूप या मौखिक रूप में रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र भेजना है । आग या छेद आदि अवसरों पर मास्टर अन्तर्राष्ट्रीय कोड महत्वपूर्ण संकेत दिन में तथा पोर्ट सिगनल रात में स्थिति को दिखाते हुए आग के शमन या छेद के रोक हो जाने तक दिखाना है ।

(ख) पोर्ट तथा परिसर से आग लग गई तो चाहे वह तट पर हो या जहाज़ पर हो , बोर्ड को अग्निशमन करने के लिए कदम उठाने का अधिकार है ।

(ग) जिस जलयान में आग लग गई उसके मालिक को या माल या वस्तुओं के मालिक को अग्निशमन के लिए प्रयोग किए संयंत्र तथा उपकरणों की भाडा देना पडता है ।

(घ) जो कोई जहाज़ में आग को देखे तो तुरंत (1) जहाज़ अधिकारी, जिसको अलारम से सूचना देने का अधिकार उप विनियम (ङ) के अनुसार है, को सूचना देना है ।

(ii) यदि जहाज़ घाट के बगल में है, तट पर रहते समय जैसे समझा जाए तथा आग के साथ व्यवहार करें तो उप विनियम (ङ) के अनुसार अलारम उठाए साथ ही साथ जहाज़ के अधिकारी को सूचना दी जाय जो तुरंत उप विनियम (ङ) के अनुसार अलारम से सूचना देगा

(ङ) अलारम को बजाने के लिए निम्न लिखित विधाएं स्वीकार किए जाएंगे ।

(i) जहाज़ पर दिन में :- अन्तर्राष्ट्रीय झंडा 'डीक्यु' को फहराना, जहाज के सैरन छोटा, छोटा दीर्घ छोटा - इस प्रकार लगातार फायर ब्रिगेड आने तक आवाज़ देना ।

(ii) जहाज़ पर रात में:- ऊपर की तरह साइरन बजाना, 2 लाल दियों को एक के ऊपर एक करके 6 फीट दूर पर जलाना । जहाज़ जब पार्श्व में है उपर्युक्त पद्धति के साथ साथ अलारम टेलिफोन द्वारा बजाना है ।

(iii) तट पर रात या दिन में :- निकटतम टेलिफोन पर जाकर 666555/101 नंबर डायल करना, मिलने पर साफ साफ बताना

.....के जहाज़ पर आग

.....के तट पर आग

48. अन्तर्जलीय मरम्मत:- पोर्ट की परिधि पर कोई भी व्यक्ति गोता नहीं ले सकता (रेंग या उठा ले जाना) या लंगर, केबिल्स तथा भंडार या नष्ट हुए नौभार की एक विशेष स्थल पर खोज, जलयान की मरम्मत की जिम्मेदारी आदि उप संरक्षक की पूर्वानुमति के बिना नहीं कर सकता ।

49. कुछ विशेष परिस्थितियों में नाव के डूब जाने के बारे में जलयान के मास्टर को रिपोर्ट करना है :- जलयान के मास्टर पोर्ट में , पास कहीं जहाँ किसी नौभार या नाव किसी भी कारण से नौभार लेते समय या यात्रियों को लेते समय या नौभार उतारते समय या यात्रियों को चढ़ाते समय किसी भी कारणवश डूब जाएं तो डूबने के कारण , स्थल जहाँ पर संभव हुआ आदि कारणों को दिखाकर संरक्षक को रिपोर्ट देना है ।

50. पोर्ट में किसी नाव के डूब जाने के बारे में नाव के मास्टर द्वारा सूचित करना :- पोर्ट में किसी कारणवश डूब जानेवाली अन्य नाव या नौभार के मास्टर तुरंत उप संरक्षक को डूब जाने तथा जिस स्थान पर डूब गया है आदि के बारे में सूचित करना है ।

51. कुछ निश्चित स्थानों पर ही लाइटर , नाव तथा जलयानों को रखना :- लाइटर, नाव या जलयानों को तट पर न ले जा सकते या मरम्मत के उद्देश्य पर तट पर न ले जा सकते उप संरक्षक ने इस उद्देश्य के लिए जिस स्थान को निश्चित किया है उसी स्थान पर ही ले जा सकते हैं ।

52. नाव तथा जलयान घाट वार्फ, या अवतरण पटरे पर तेज़ी से न चलना:- माल को उतारने या लादने या यात्रिकों व सामानों को उतारने या लादने के समय के अलावा किसी भी नाव , लाइटर या जलयान को घाट पर रहने या घाट या वार्फ या अवतरण पटरे पर तेज़ी से चलाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

53. टिंडल तथा कर्मीदल को नाव पर ही रहना :- टिंडल तथा कर्मीदल को अपने नाव पर ही रहना है । लाइटर तथा जलयान जब घाट, वार्फ या अवतरण पटरे पर हैं, उप संरक्षक या यातायात प्रबंधक या कभी दोनों के आदेश तथा निर्देश का पालन करना है ।

54. नाव, लाइटर तथा जलयान को अपेक्षित समय पर घाट तथा अवतरण पटरे से दूर हटना है :- एक व्यक्ति जो टिंडल, या किसी भी नाव, लाइटर अथवा जलयान के कर्मीदल के सदस्य हो, उप संरक्षक या यातायात प्रबंधक के आदेश के अनुसार नाव या जलयान , घाट या अवतरण पटरे से दूर हट जाने में से इनकार करेगा तो दण्ड भोगना पड़ेगा ।

IV. घाट तथा शेड, जलयान के लादन तथा माल उतारने तथा प्रावती, वितरण तथा माल का नौभरण संबंधी विनियम

55. यातायात प्रबन्धक के अधीन पोर्ट में नौभार काम :- पोर्ट में जलयान से लादन तथा माल उतारने का नियंत्रण यातायात प्रबन्धक के अधीन में होता है जिसको अपने विवेक से ऐसा मालूम हो जाए कि बर्थ के पास जो माल है जिससे यातायात में रुकावट की संभावना है या घना है या घाट की सुविधाजनक उपयोग के लिए बाधा पहुँचेगी तो उस प्रकार के माल के उतारने से रोकने का अधिकार उसको है । उस प्रकार के माल को यातायात प्रबन्धक के निर्देश के अनुसार पार्श्व पर छोड़ा जाएगा । विनियम 97 के प्रावधान के होते हुए भी यातायात प्रबन्धक को अपने विवेक से अपने अधीन के स्थल में अनुयोज्य है तो इसको डाल सकता है (बशर्ते कि स्थल तो सीमाशुल्क प्रदेश के अन्दर हो) माल जो बर्थ के पास अवतरण करता है या बर्थ के पास भंडार करता है यातायात को रोकेगा या अति संकुल बन जाएगा । हर एक जलयान के लंगर डालने का स्थल यातायात प्रबन्धक द्वारा पहले ही निश्चित किया जाता है ।

56. क्रेनों की उपयोगिता :- क्रेन का आबंटन साधारणतया उपयोग के लिए आवेदन के मिलने के आदेश के अनुसार होता है । यातायात प्रबन्धक अपने विवेक से क्रेन का आबंटन जहाज़ के काम के साधारण बिल तथा माल ढुलाई के अनुसार करता है ।

57. नौभार के संचालन के पहले जलयान का लंगर डालना :- निश्चित घाट पर लंगर डालने के पहले पोर्ट में

किसी भी जलयान से माल का लादन या उतारन न करना है ।

58. नौभार का तोडना:- (1)जलयान के मास्टर, मालिक, या एजन्ट नौभार के तोडने के पहले यातायात प्रबंधक को मालसूची की एक सच्ची प्रतिलिपि देना है जो वापस नहीं दी जाएगी । जलयान के मास्टर, मालिक या एजन्ट यातायात प्रबन्धक को भाडा मालसूची की सच्ची प्रतिलिपि जिसमें सामान्य मालसूची का विस्तृत विवरण तथा हर एक प्रेषण मालसूची का कुल भार जो जलयान के तोडने के 6 दिन पहले लिया हो, प्रस्तुत करना है जब किसी प्रेषण विविध भार का वैयक्तिक पाकेज है तो हर एक पाकेज का कुल भार देना है । अंतिम पोर्ट के जलयान से नौभार लादन करते समय तथा भारत के किसी भी पोर्ट के जलयान से नौभार के लादन करते समय यातायात प्रबन्धक इस अवधि को कम कर सकता है ।

(2) उप विनियम (1) में बताए मालसूची के निश्चित समय के अंदर प्रस्तुत न करने पर जलयान के नौभार को तोड न कर सकते ।

(3) "परवर्ती वाहनान्तरण के लिए सूचित दूसरे पोर्ट नौभार " यदि यातायात प्रबन्धक को दे देने के लिए अनुमति दिया जाय तो, संबंधित जलयान के मास्टर, मालिक या एजन्ट उपविनियम (1) में बतायी औपचारिकता का निरीक्षण करना है, वैसे नौभार के लादन के पहले यातायात प्रबन्धक को यदि मालसूची उपविनियम (1) के अनुसार निश्चित समय पर प्रस्तुत न किया हो तो उसे रोकने का अधिकार है ।

59. जलयान से संबंधित कागज़ नौभार का विस्तृत विवरण आदि का प्रस्तुतीकरण:- यातायात प्रबंधक यदि जलयान के मास्टर , मालिक या एजन्ट से किसी किताब, वाऊचर, नौभार या लंगर डालने से संबंधित कोई दस्तावेज पूछा जाय तो उसे प्रस्तुत करना है । माल जो थैली में है उसकी आयात के लिए हर एक फलके में कितना माल है, इसको दिखाकर मालसूची की एक सच्ची प्रतिलिपि मालिक की अनुमति सहित माल उतारने के पहले यातायात प्रबंधक को देना है। दूसरे प्रकार के नौभार के आयात के मामले में यदि यातायात प्रबंधक मांगा करें तो मालसूची की सच्ची प्रतिलिपि जो सगान ब्यौरा दिखाता है दिया जाना है ।

60. पोर्ट से लोहा, इस्पात, मशीनरी पैकेज, लंबे तथा ताप जुडाई न किए भार लिफ्ट का हटाना :- उप विनियम 55 के प्रावधान के होते हुए भी पोर्ट में स्थित लोहे, इस्पात, मशीनरी पैकेज, लंबे तथा ताप जुडाई न किए भार लिफ्ट आदि को यातायात प्रबंधक अपने विवेक से दूसरी तरह जो बोर्ड के अधीन के हो, प्रेषक, मालिक या आयात कर्ता की खर्च पर, पूर्व सूचना के बिना पोर्ट के संचालन तथा सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा जाय तो हटा सकता है ।

61. तैरता टिम्बर :- (1) पोर्ट के2 जलयान से उतारे तैरता टिम्बर अच्छी तरह बेडित करके निकालता है । किसी भी फिटिंग टिम्बर जो आयातकर्ता या उसके अवतरण एजन्ट उतरने के दिन में परिवर्तन न कर सकें तो उसको अच्छी तरह बेडित करके उप संरक्षक के निर्देश के अनुसार निश्चित स्थल पर रखना है ।

(2) किसी भी जलयान के मास्टर जो पोर्ट के सागर में टिम्बर उतारता है वह टिम्बर वास्तव में पानी में डूब जाता है और उसको ऊपर आने नहीं देते ।

62. कोयले का उतराव तथा नौभरण :- (1) वार्फ बर्थ में कोयले के उतराव तथा नौभरण खुले या इसके विपरीत जहाज़ से या जहाज़ पर यातायात प्रबन्धक की अनुमति से ही संभव हो सकता है, यदि वह समझता है कि उतरा तथा नौभरण से संपत्ति में कोयले धूल या दूसरे प्रकार नुकसान पहुँचा जाएगा तो वह अनुमति इनकार कर सकता है ।

(2) जहाज़ कोयले के उतारने, खुले या दूसरे प्रकार हो, अनुमति इसके आधार पर दी जाएगी कि आयातकर्ता या पोतवाणिक या अधिकृत एजन्ट वार्फ में पडे अवशेष को निकालकर तट को साफ करने का खर्च वापस देने का वादा करें ।

63. वार्फों को गंदा बनानेवाले माल के उतराव व चढ़ाव :-

(क) प्रकृति के सौरा तथा उसी प्रकार के माल जो वार्फ को गंदा बनाता है या शेड को संक्रमणित करता है या दूसरे माल को खराब करता है, उनको जलयान से वार्फ पर यातायात प्रबन्धक की अनुमति से ही निकाल किया जा सकता है तथा मालिक या माल के प्रेषक, वार्फ या संक्रमण शेड की सफाई के लिए बोर्ड को जो खर्च हुआ उसकी अदा करने का उत्तरदायी है ।

(ख) वार्फ बैलन या पात्र से वनस्पति, मत्स्य या दूसरी तरह के तेल के खुले नौभरण के पहले उंडेल नहीं देता । जहाँ तेल का खुले नौभरण होता है, तेल टैंक वागन या टैंक लोरी में भरके वहाँ से सीधे जलयान के टैंक में पमप करता है या सीधे नौके से जलयान टैंक में ले जाता है ।

64. जलयान से उतारे जीर्णशीर्ण चीज़ों को वार्फ से निकालना :- जलयान से उतारे चीज़ को जीर्णशीर्ण, बदबूदार या उपद्रवी हो, पोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी के मत में स्वास्थ्य के लिए विषम, घायल या खतरनाक हो या जलयान से उतारे वस्तुएं जीर्णशीर्ण ,बदबूदार या दूसरों को उपद्रवी या क्षति पहुँचानेवाला है या स्वास्थ्य अधिकारी की राय में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, यातायात प्रबन्धक को मालिक की सहायता लेनी पडती है । यदि मालिक अस्वीकार करें या प्रेषण का विवाद करें या सब जिम्मेदारी का निराकरण करें या मालिक या जलयान के मालिक जहाँ से चीज़ों को उतारा गया है, तुरंत ही उपर्युक्त सामानों को निकालना पडेगा, यदि वही प्रेषण के मालिक या मास्टर, मालिक या जलयान का एजन्ट मामले के अनुसार उन चीज़ों को 18 घंटे के अंदर निकालने से इनकार करेगा तो फिर उन चीज़ों को हटाना यातायात प्रबंधक की इच्छा के अनुसार होगा । यदि वह सोचेगा कि वैसी वस्तुओं को नष्ट कर दिए जाएं तो वैसा करेगा, मामले के अनुसार प्रेषण का मालिक, या मास्टर या जलयान के मालिक या एजन्ट बोर्ड को चीज़ों को निकालने, उसको नष्ट करने तथा स्थल साफ करने, शुद्धीकरण करने तथा रोग संचार से विमुक्त करने के लिए हुए खर्च की पत्र को प्राप्त 48 घंटे के अंदर अदा करना है, नहीं तो निर्धारित सजा का हकदार होगा ।

65. अपने बर्थों से जलयान का अन्तरण :- पर्याप्त कारण से जलयान को एक बर्थ से दूसरे रिक्त बर्थ पर अन्तरण करने का निर्देश यातायात प्रबन्धक या उप संरक्षक द्वारा दिया जाता है । पुराने बर्थ से नौवहन नहीं किया नौभार को निकालने में जो खर्च आता है जलयान का मास्टर, मालिक या एजन्ट उस खर्च का जिम्मेदार है बशर्ते कि 24 घंटे पहले बदली सूचना देना है । इस विनियम के अधीन आते जलयान की बदली में कोई देरी आ जाय तो बोर्ड उत्तरदायी नहीं है ।

66. घाट का परस्पर व्यापन तथा दोहरा बाँध लगाना :- घाट पर लंगर डाले जलयान से नौभार के लादन माल उतारने के लिए सुविधाएं देना । घाट के बाहर पडे जलायान को भी यातायात प्रबन्धक की इच्छा पर दिया जाता है, जलयान के परस्पर व्यापन या दोहरा बाँध लगाने से कोई देरी या हानि पहुँचा जाय तो बोर्ड उत्तरदायी नहीं है ।

*67& 68

* विनियम 67& 68 निरसित किया है तथा नए विनियमों की रूपरेखा तैयार की है ।

69. जलयान के नौभार का उतराव मास्टर के अधीक्षण में या नौभरक के उत्तरदायित्व में होना है :- (1) पोर्ट में जलयान के मास्टर, मालिक या बोर्ड के लाइसेंसी नौभरक के निर्देश या अधीक्षण के अलावा किसी भी जलयान से नौभार निकालने, उतारने तथा बदल नहीं सकते ।

(2) मालों के लापरवाह या लटक जाने से यदि कोई क्षति आ जाय तो मालिक या नौभरक उत्तरदायी है । इसलिए हमेशा जलयान में निम्नलिखित सावधानी बर्तनी चाहिए ।

(i) मालों के लादने के पहले स्लिंग समतल पर घुमाव या धूंधर के बिना रखना है ।

(ii) हर स्लिंग के उपयोग करते समय तथा प्रथम/ऊपर उठाते समय, काम करते रस्सी अच्छी तरह लकडी दंड से दबाना है जो कि पकड सुरक्षित हो जाए ।

70. मास्टर, नौभरक आदि जो नौभार का काम करते हैं उचित लाइट आदि जहाज़ पर दिया जाना है :- जलयान के मास्टर तथा मालिक , नौभार में काम करते नौभरक ये सब जलयान के सभी भागों में लाइट के प्रावधान का उत्तरदायी है, इसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से बोर्ड के क्रेन , घाट या बंगसार , तथा दूसरी संपत्ति का भी उपयोग कर सकता है । इसके अभाव में कुछ क्षति या जीवन का नष्ट हो जाय तो इन सबका उत्तरदायी है ।

71. जलयान के कोर्मिग्स(अडवाल) के नीचे क्रेन स्लिंग का प्रयोग नहीं करना :- आयात करने का सामान सीधे खुले हैच वे (फलका मुख) में रखना है और किसी भी कारणवश कोर्मिग्स के नीचे के सामान लेने के लिए जहाज़ का क्रेन का प्रयोग नहीं करना है ।

72. जलयान विंचस का प्रयोग :- (1) जलयान के मास्टर तथा मालिक जो अपने क्रेन या विंचस में माल का उतराव तथा लादन करते हैं, किसी भी कारण से , किसी भी माल को क्षति या हानि पहुँचा जाय तो उसका पूर्ण जोखिम व उत्तरदायित्व उन पर ही है ।

(2) जहाज़ के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि पोर्ट क्रेन तथा जहाज़ के गियर दोनों ठीक ही हैं।

73. भारी लिफ्ट :- किसी भी जलयान से चीज़ या पैकेज जो 10 टन से अधिक भार के हो यातायात प्रबन्धक आवश्यक है तो इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा प्रबन्ध किए क्रेन के उपयोग के अलावा अवतरण करने से रोक दिया जा सकता है ।

74. भारी पैकेज :- (क) एक मेट्रिक टन तथा इससे अधिक भार के एक भी चीज़ या पैकेज का लादन जलयान में नहीं हो सकता यदि हर एक चीज़ या पैकेज का कुल भार प्रेषक या एजन्ट द्वारा निम्न प्रकार अंकित किया नहीं हो ।

(1) भारी पैकेज के अंकित करने की रीति :- (i) भारी पैकेज का कुल भार अंग्रेज़ी तथा हो सके तो प्रादेशिक भाषा में एक प्रत्येक पेइंट जो आसानी से मिटा नहीं सकता है, से अंकित करना है ।

(ii) भारी पैकेज जो फोका रंगवाला होता है तो काला पेइंट का इस्तेमाल करना है , जहाँ पैकेज गहरा रंग का होता है तो सफेद या पीला पेइंट का इस्तेमाल करना है ।

(2) कुल भार मेट्रिक टन या किलोग्राम में अंकित करना है :- भारी पाकैज का कुल भार मेट्रिक टन या किलोग्राम में अंकित करना है ।

(3) अंकन करने का स्थल :- भारी पाकैज दोनों पार्श्वों पर कुल भार को अंकित करना है ताकि पाकैज किसी भी स्थिति में रखा जाए तथा अंकन आसानी से देखा जा सकें ।

(4) अक्षरों या आकंडों का आकार :- भारी पाकैज के भार को अंकित करनेवाले अक्षर तथा आकंडों का आकार कम से कम 71/2 सेंटीमीटर तथा 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा होना है ।

(5) पैकिंग की रीति :- (i) भारी पाकैज को सुरक्षित रूप से भलपूर्वक ढंग से इस प्रकार पाकैंग करना है कि पाकिंग के विघटन या हिला जाने से अंतर जो चीज़ रखा हुआ है उसको क्षति न पहूँचा जाए ।

(i i) मालों के उतारने तथा लादन के समय चीज़ों पर कुछ बल पड जाता है इसलिए आवरण तो उसकी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए ।

(6) अनिवार्य परिस्थितियों में लगभग भार का अंकन करना :- जहाँ पाकैज के ठीक वज़न जानने की तरीका नहीं हो तथा पाकैज का प्रेषक होता है तो प्रत्याशित न्यूनतम तथा अधिकतम वज़न को मेट्रिक टन या किलोग्राम में ऊपर बताए ढंग से अंकित करना है ।

बशर्तेकि प्रत्याशित अधिकतम भार, पाकैज के ठीक भार से कम न हो ।

(क) इस विनियम के उपबंधों का उल्लंघन हो जाय तो प्रेषक तथा उसके एजेंट, मास्टर, अधिकारी, मालिक तथा जलयान के एजेंट तथा नौभरक इसका भागी होगा ।

75. खतरनाक, जोखिम एवं कमज़ोर मालों का अवतारण :- पीपा या तेल ड्रम, पेइंट , ईंट, गिट्टी के बरतन, पाईप तथा इसी प्रकार के माल जिसकी बड़ी सावधानी से संचालन करना है, जहाँ तक साध्य हो, खतरनाक नौभार को जलयान

से वयर या रोप नेट स्लिंग के बदले लोहे के ट्र में उतारना है, इस प्रावधान के अनुपालन न करने से जो क्षति या नष्ट आ जाती है , उसका बोर्ड उत्तरदायी नहीं है ।

76. बोर्ड तथा दूसरे गियर का उपयोग :- सभी गियर, लोहा क्षीट, स्लिंग्स, ट्यूबस तथा दूसरी चीजें जो बोर्ड द्वारा दिए गए, आवश्यकता नहीं है तो बोर्ड भंडार को वापस दिया जाना है, इसके अलावा घाट या सडक पर पडे न रहने देना है । सभी गियर लोहे क्षीट, स्लिंग्स, ट्यूबस तथा दूसरे सामान का भाडा शुल्क -प्रेषण दिन से वापस देने दिन तक - जलयान के मास्टर, मालिक या नौभरक से अदा करता है । सभी गियर तथा सामान जो बोर्ड द्वारा दिया हुआ नहीं है, घाट या रोड से 2 घंटे के अंदर निकाल करना है । इसके अभाव में जलयान के मास्टर, मालिक या नौभरक या वह आदमी जिसका गियर है उनकी खर्च पर यातायात प्रबंधक निकाल करता है ।

77. सामान हस्तन के लिए बोर्ड द्वारा मज़दूरों की सप्लाई :- (1) घाट के तट पर आयात, निर्यात तथा नौकान्तरण के लिए बोर्ड आवश्यक मज़दूरों को सप्लाई किए जाएंगे लेकिन हडताल या शोरगुल या नियंत्रणातीत महामारी के कारण आवश्यक मात्रा में मज़दूर न मिल जाएं , जिससे चीज़ों को कोई क्षति या नष्ट पहुँचा जाय तो बोर्ड उत्तरदायी नहीं है ।

(2) जलयान से तथा जलयान में माल के अवतरण तथा नौकान्तरण के लिए जलयान के मालिक तथा एजन्ट को बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए शर्तों के अनुसार बोर्ड अनुमति देती है ।

(3) निम्नलिखित शर्तों के अनुसार मज़दूर की सप्लाई की जाती है :-

(i) लिखित आवेदन पत्र जिसमें जलयान के मास्टर या मुख्य अधिकारी या एजन्ट द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ हो ।

(ii) रात की मज़दूरी के लिए आवेदन देने का समय दुपहर 2.30 बजे तथा आनेवाले दिन दुपहर 3.30 बजे है ।

(iii) यदि मज़दूरी देने का आदेश दिया और सप्लाई भी किया लेकिन उसका उचित प्रकार से उपयोग न करें तो बोर्ड मुख्य मास्टर, मुख्य अधिकारी या एजन्ट से जो काम खाली पडा है, जिसका उचित प्रकार उपयोग न करें उसका वास्तविक लागत वसूल किया जाएगा ।

(iv) प्रात: काल 8.00 बजे से 6.00 बजे तक समय मज़दूरी का आदेश दिया जाय और सप्लाई भी किया लेकिन उनको भेजा जाय या काम के बाद उनकी आवश्यकता नहीं है तो बोर्ड मास्टर मुख्य अधिकारी या एजन्ट से मामला के अनुसार दिन भर के लिए या रात के लिए मज़दूरी का लागत वसूल किया जाएगा ।

(v) दुपहर के बाद बर्थ में आनेवाले जलयान में मज़दूर तभी दिया जाएगा जब यातायात प्रबन्धक से पले ही आदेश प्राप्त किया हो ।

78. निर्यात मालों का भंडारण तथा नौभरण :- (1) नौभरण के लिए वार्फ या पोर्ट शेड या परिसर पर लाए माल, मालिक, माल भेजनेवाला या एजन्ट के अधीन में रहेगा । वैसे मालों का उत्तरदायित्व बोर्ड को नहीं है । यातायात प्रबन्धक के आदेश के अनुसार ही नौभरण का माल वार्फ के शेड या खुले स्थल पार आता है । उनके आदेश के अनुसार जहाँ मालों का भंडारण होता है, वहाँ किसी भी परिस्थिति में वार्फ के यातायात पर कोई रुकावट न पहूँचेगी ।

(2) नौभरण के मालिक या उनके प्रतिनिधियों को निर्यात आवेदन पत्र भरकर चार प्रतियाँ तैयार कर हस्ताक्षर डालकर देना है जो विनियम परिशिष्ट -'क' में दिया है (अदा करने नौवहन शुल्क को दर्ज करने कॉलम को छोडकर) उस प्रकार के आवेदन पत्र में प्रेषण का पूरा विवरण, याने नौभार की मात्रा , उसका विवरण, हर एक प्रेषण का भार या माप या लिटरेज मालों के घार देय तथा स्ट्रोम देय के यूनिट के अनुसार देना है । (भार या माप मेट्रिक पद्धति में अंकित है) जहाँ देय का निर्धारण भार के अनुसार होता है, वहाँ प्रेषण का कुल भार (वास्तविक नहीं) दिखाना चाहिए । जहाँ प्रेषण की वस्तु बडी होती है (हर एक पैकेज 1.5 लिटर से अधिक हो) तो हर एक वस्तु का माप अतिरिक्त दिखाना है । भरा हुआ निर्यात आवेदन पत्र बीजक के साथ जब मांगा जाता है, भार या माप का प्रमाण सहित मुख्य कार्यालय कौंडर में प्रस्तुत करना चाहिए । जब आवेदन का जाँच किया जाता है, शुल्क निश्चित किया जाता है तथा अदा किया जाता है निर्यात आवेदन वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किए हुए शुल्क का रसीद सहित दिया जाना है ।

(3) शेड में मालों के शिप्पर ऊपर बताए निर्यात आवेदन की तीन प्रतियों को दिखाने से ही नौभरण के लिए आए मालों को वार्फ में बोर्ड के परिवहन शेड या परिसर पर आने की अनुमति देगी । इन मालों का वार्फ बर्थ के किसी जलयान में लादने के लिए पोर्ट की किसी भी जलयान में नौभरण नहीं हो सकता यदि :-

(क) सीमा शुल्क का निर्यात नौवहन बिल निर्यात की अनुमति आदेश सहित या पुन: नौभरण का सीमाशुल्क विभाग द्वारा पारित आवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(ख) उपर्युक्त मालों पर जो कुछ व्यय बोर्ड को देना है तथा, उसका रसीद मालों के शिप्पर प्रस्तुत करता है । कुछ विशेष परिस्थितियों में यातायात प्रबन्धक (जहाँ शिप्पेर्स को पोर्ट के साथ निक्षेप हो) मालों के लादन की अनुमति इस प्रत्याशा में देता है कि बोर्ड को देने की राशि के लिए संबंधित पार्टी लिखित प्रमाण दे देंगे कि जो राशि चुकाना है वह उनकी लेखा से जमा कर सकता है ।

(4) विनियम 77 में बतायी शर्तों के अनुसार बोर्ड सभी निर्यात मालों के (पोर्ट द्वारा संचालित न किया हो तथा पोर्ट की अनुसूची दर में सूचित किया गया हो) भंडारण की जगह से स्लिंग्स, संबंधित जलयान के डेरिक या क्रेन से नौवहन के लिए मज़दूरी दी जाएगी, लेकिन वैसे नौवहन किए गए मालों की देखरेख के लिए कुछ तैयारियाँ शिप्पेर्स को

करना है तथा आवश्यक मालिक रसीद सुरक्षित रखना हो ।

79. आयातीत मालों की प्राप्ति, वर्गीकरण तथा राशीकरण :- विनियम 77 में बतायी गयी शर्तों के अनुसार तथा निम्नलिखित आरक्षण की गणना के अनुसार घाट में आयातीत मालों की प्राप्ति, वर्गीकरण तथा राशीकरण, बोर्ड द्वारा समय समय पर निश्चित की गई मालों को छोडकर, आदि का उत्तरदायित्व बोर्ड का है ।

(i) लोहा तथा इस्पात बार, छल्ल पाईप तथा उसी प्रकार की वस्तुएं अंकन के अनुसार स्टाक करें बशर्तेकि जलयान से मालों का लादन मिश्रण रूप में न हो ।

(ii) चीनी, चावल तथा दूसरे सामानों की थैली उस पर मालिकों के मुख्य अंकन के अनुसार परिवहन शेड पर वर्गीकृत तथा स्टाक में लिया जाएगा ।.

(iii) जब एक जलयान में काजू तथा समरूप माल जिसको पोइर्ट वार्फ में अवतरित करने का अंकन हो तो मास्टर, मालिक या एजन्ट प्रेषण के अनुसार या हर एक स्लिंग में 2 से अधिक अंकन न हो तो अवतरण करेगा, नहीं तो मालिक, एजन्ट परिवहन शेड पर मालों के वर्गीकरण के लिए प्रावधान बनाना है या वर्गीकरण केलिए मूल्य चुकाना है ।

(iv) उचित रूप से अंकन न किए हुए मालों का जलयान से अवतरण करना यातायात प्रबंधक अस्वीकार करेगा क्योंकि यथार्थ मालिकों को ढूंढ निकालना मुश्किल है ।

(v) लोहा तथा इस्पात बार, छल्ला, पाईप या उसी प्रकार के प्रेषण वस्तुओं के किसी एक भाग का अवतरण बोर्ड अस्वीकार करेगा ।

80. मालों पर उत्तरदायित्व :- (क) बोर्ड कोई चार्ज अदा नहीं करेगा या आयात मालों पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रखेगा यदि जहाज़ से अवतरण के बाद घाट पर ही अवतरण न किया हो या घाट के पार्श्व पर निविदित न किया हो ।

बशर्तेकि बोर्ड द्वारा मालों के चार्ज लिए दिन से कार्यदिवसों के बाद बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा ।

(ख) आयातीत मालों की स्थिति तथा अपने अधीन में सुरक्षित रूप रखने का बोर्ड का उत्तरदायित्व मालों के यातायात प्रबंधक के चार्ज में आने के समय तक है । प्राकृतिक या अनिवार्य कारणों से मालों की कोई हानि पहुंची जाय या पार्किंग के बिना या ठीक तरह से सुरक्षित न रखने से मोटोर गाडी कास्टिंग के टूटने या कमी के कारण हानि पहुंची जाय तो बोर्ड उसका उत्तरदायी नहीं रहेगा । परिसर से मालों के निकालने के पहले यातायात प्रबंधक द्वारा निश्चित और स्वीकृत न किया जाय तो जो कुछ हानि या कमियाँ आती हैं विनियम 87, के प्रावधान के अनुसार बोर्ड उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

81. आयात मालों पर जिम्मेदारी :- आयात मालों के जलयान से घाट में उतारने (कुछ विशेष परिस्थितियों में मालों का अवतरण तथा सुपुर्दगी जलयान के मालिक द्वारा किया जाता है) का प्रभार यातायात प्रबन्धक को है, जो घाट में या शेड पर सुरक्षित रखने का उत्तरदायी है तथा उनके द्वारा मालिकों को दिया जाता है ।

82. अवतारण किए मालों पर क्षति आदि :- किसी भी जलयान से अवतारण किए गए थोड़ा सा फटा हुआ या क्षति पहुँचाए मालों पर टिप्पणियाँ अंकित की जाएगी तथा उन मालों पर बोर्ड कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा ।

83. रात को अवतारण किए हुए मालों की क्षति आदि :- निम्नलिखित वर्ग के मालों के रात को निकालने से बोर्ड उत्तरदायी नहीं रहेगा । जहाज के मालिक तथा एजन्ट जो रात को मालों को निकालना चाहता है तो उनको अपने उत्तरदायित्व में करने की अनुमति दी जाती है :-

पैकेज जिनमें सोना चाँदी
सिनेमाटोग्राफ फिल्म
क्लोक तथा घड़ियाँ
करन्सी नोट्स
इलक्ट्रोप्लेटड माल
सोना तथा चाँदी का माल
सोना तथा सिलवर लीफ
सोना तथा चाँदी कपडे, लेस, धागा, ब्रेड
किन्क यथार्थ या नकली
भारी लिफ्टस जो 3 टन से अधिक हो
हाथी दाँत (हाथी के दांत या मोयेर्स दांत)
सिल्क सामान
स्टाम्प तथा स्टांप लगाए पेपर
प्रतिमाएं (कॉसा या मारबिल)
अनप्रोटकटड कास्टिंग्स
वेलवेट तथा वेलवेटीन
द्राक्षासव तथा स्पिरिट

84. प्राप्त मालों की राशि पर उत्तरदायित्व :- आयातीत मालों की अनुमति रसीदी जो यातायात प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किए तथा स्वीकृत किए हो, तथा जलयान के मास्टर, मालिक या एजन्ट को देना है, केवल आयातीत मालों के पैकेज की संख्या पर ही बोर्ड का उत्तरदायित्व है ।

85. रसीदी तथा टिप्पणी सूची का प्रेषण :- (क) विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फ में अवतरण किए मालों की

रसीदी (परिशिष्ट 'ख' फार्म में) यातायात प्रबन्धक जलयान के मास्टर , मालिक या स्टीमर एजन्ट को दिया जाना है । अवतरण किए दिन से चौथी कार्य दिवस से अधिक बोर्ड के अधीन में मालों को न रख दिया जाय । अवतरण किए हुए क्षतिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण मालों की स्थिति में "रसीदी (परिशिष्ट ' ग' फार्म में) को आयात माल (के विषय में) टूटा या क्षतिपूर्ण पैकेज अभिहित किया जाता है । समरूप नौभार जैसे ब्रोकड माल, जहाँ "टिप्पणी" मूल रसीद पर ही अंकित हो तथा अलग से "टिप्पणी" सूची प्रस्तुत किया हो ।

(ख) शराब का प्रेषण :- शराब का प्रेषण (परिशिष्ट 'घ' फार्म में) दूसरे आयातित मालों की तरह लेबल करके भेजता है, फर्क इतना है कि पैकेज की बाहर की स्थिति पर कोई टिप्पणी अंकित किया न हो ।

टिप्पणी - शराब के प्रेषण के अवतरण तथा खन्ना में निम्नलिखित क्रियाविधि को स्वीकार करना है :

(i) स्टीमर लाइसेंस के एजन्टों को परिवहन शेड पर अलग से जलबंध का आबंटन करना है बशर्ते कि स्टीमर के पहूँच जाने के एक हफ्ते पहले करीब जितने स्थल की आवश्यकता है इसको दिखाते हुए यातायात प्रबन्धक को एक हफ्ते पहले आवेदन पत्र दिया जाना है ।

(ii) वार्फ में लंगर डाले जलयान से अवतरण करते समय (बोटड नौभार के संबंध में लैइटरेज) लिक्कर के प्रेषण का प्रबन्ध पोर्ट करेगा तथा स्टीमर एजन्टों को आबंटित जलबंध पर स्टॉक करेगा ।

(iii) स्टीमर एजन्टों के द्वारा जलबंध में ताला डालता है एक ताला उनका अपना होता है तथा पोर्ट का दूसरा ताला होता है, स्टीमर एजन्ट तथा पोर्ट अपने तालाओं को अपने अपने अधीन में रखते हैं ।

(iv) परिवहन शेड के जलबंध पर स्टीमर एजन्ट के अधीन में अवतरण के समय से निकासी समय तक माल सुरक्षित रखेगा तथा यदि मालों की कोई क्षति आ गई या नष्ट पहूँचा जाय तो पोर्ट उत्तरदायी नहीं होगा ।

(v) पोर्ट तथा सीमाशुल्क में जो औपचारिकता है उसको निभाने तथा दूसरे आयात मालों की तरह आवश्यक शुल्क को अदा करने के बाद पोर्ट तथा स्टीमर एजन्ट दोनों मिलकर उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण में मालों की सुपुर्दगी करते हैं ।

(vi) कुछ विशेष परिस्थितियों में यातायात प्रबन्धक के लिखित अनुमति के अलावा प्रेषण का शराब जलबंध के बाहर रखने की अनुमति नहीं दी जाती । जलबंध के कमी में स्टीमर एजन्ट पूर्ण उत्तरदायित्व लेते हैं तथा पोर्ट को क्षति तथा दावा से सुरक्षित रखते हैं । ऐसी परिस्थितियों में उनको एक पहरेदार को नियुक्त करने की अनुमति दी जाती है ।

86. कीमती चीजें:- पैकेज जिसमें सोना चांदी, मूल्यवान पत्थर, सोने की धूल, रत्न या दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं हैं तथा साधारण मालसूची में ही दिखाई पडता है सीधे मालिकों को जलयान के मास्टर, मालिक के उत्तरदायित्व में दिया जाता है । लेकिन यह यातायात प्रबन्धक को (शेड में उनके अधिकारियों द्वारा) सीमाशुल्क तथा दूसरे दस्तावेज के

परीक्षण तथा सत्यापन केलिए सूचना देने के बाद ही संभव हो सकता है । इसी प्रकार इस विनियम में बताए चीज़ों के पोत लादन केलिए शिप्पेर्स को उस प्रकार की तैयारियाँ करनी होगी ।

87. नष्ट हुए या क्षति पहुँचाए मालों पर उत्तरदायित्व :- (क) अपने अधीन में लिए किसी भी वस्तुओं के नष्ट, नाश, बिगाड, क्षति हो जाने पर यदि नष्ट या क्षति हो जाने की सूचना बोर्ड द्वारा चार्ज लिए दिन से 7 कार्य दिवस के अंदर न दिया हो तो बोर्ड उत्तरदायी नहीं है । अधिनियम के विभाग 42 के उप विभाग (2) के अनुसार बार्ड द्वारा चार्ज लिए दिन से 7 कार्य दिवस के बाद चीज़ों पर बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं है । निरीक्षण केलिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा खुले हुए आयात माल जो बोर्ड के परिसर में पडा हुआ है, मालिकों के अधीन में हो, इसका बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ।

(ख) फोर्ट कोचिन वार्फ में (नौभरण) केलिए लाये आयात माल या निर्यात माल जो बोर्ड के अधीन में नहीं हो, बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व इस पर नहीं । वे बोर्ड के परिसर में मालिक या स्टीमर एजन्ट के अधीन में रहेगा ।

(ग) आयात या नौकान्तरण मालों में जो कुछ नष्ट या क्षति पहुँचा जाय, बोर्ड कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा, यदि नष्ट या क्षति की सूचना नौभरण की सुपुर्दगी के पहले ही प्राप्त न हो या उप विनियम (क) में बताए अन्तिम दिन, जो प्रथम हो, बशर्तेकि सीमाशुल्क विभाग द्वारा खुले आयात माल के बारे में इस प्रकार की सूचना इस उद्देश्य केलिए जाने के पहले ही प्राप्त हो जाना है ।

(घ) शराब के प्रेषण के संबन्ध में सामग्री में कोई क्षति या कमी पहुँचा जाय तो बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं है (विनियम 85 (ख) के अधीन बताये टिप्पणी के अनुसार) ।

88. मालों की सुपुर्दगी, स्टीमर एजन्ट के माल छुडाई आदेश :- वार्फ बर्थ पर अवतरण किए तथा यातायात प्रबंधक के अधीन के मालों की सुपुर्दगी स्टीमर एजन्टों द्वारा यातायात प्रबंधक को मालों की खाली करने केलिए जारी किए सुपुर्दगी आदेश के प्रस्तुत हो जाने से ही संभव हो सकता है ।

89. मालों की सुपुर्दगी शुल्क की अदायगी :- मालिक या उनके प्रतिनिधियाँ मालों की सुपुर्दगी केलिए आवेदन देते हैं तो उनको एक महत्वपूर्ण आवेदन को भरकर उसकी चार प्रतिलिपियाँ देना है, जो फार्म परिशिष्ट 'ङ' (अवतरण शुल्क दर्ज करने के कालम को छोडकर) में दिया हुआ है, तथा उनमें हस्ताक्षर भी करना है । ये आवेदन प्रेषण से संबन्धित सभी विवरण याने प्रकार तथा माल की मात्रा, भार या माप, हर एक प्रेषण क लिटरेज आदि सूचित करते हैं जिस यूनिट में मालों पर घाट देय स्ट्रोम देय का निर्धारण होता है उसके आधार पर होगा । (भार या माप मेट्रिक सिस्टम में दिखाना है)। जहाँ देय का निर्धारण भार के आधार पर होता है, प्रेषण का कुल (यथार्थ नहीं) भार को दिखाना चाहिए । जहाँ प्रेषण अधिक भार के होते हैं (पैकेज जो 1.5 टन से ऊपर के हो) हर एक भारित लिफ्ट का कुल भार तथा माप अतिरिक्त रूप से दिखाना है । भरा हुआ आयात आवेदन पत्र स्टीमर एजन्ट द्वारा जारी किए सुपुर्दगी आदेश के साथ आता है तथा मुख्य कार्यालय काउण्टर में जब आवेदन की जाँच की जाती है भार या माप को दिखाते हुए बीजक या दस्तावेज़ को

प्रस्तुत करना है, निश्चित तथा प्राप्त हुआ चार्ज तथा वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित आयात आवेदन, देय चार्ज के रसीद सहित प्रमाण प्रस्तुत करना है । पृष्ठांकित आयात आवेदन की तीन प्रतियाँ, स्टीमर एजन्ट द्वारा जारी किए सुपुर्दगी आदेश तथा सीमाशुल्क के आयात बिल ऑफ एन्टरी, आऊट ऑफ चार्ज आदेश आदि की 2 प्रतियाँ सहित शेड में प्रस्तुत करना है । बोर्ड के अधिकारी जब इन दस्तावेज़ों का परीक्षण करता है तो वह संतुष्ट हो जाता है कि सभी क्रमानुसार है तथा मालों की पावती सहित है, मालों को वार्फ परिसर से निकालने तथा अधिकारियों को देने की अनुमति होगी ।

90. भाड़े से मालों का निरोध :. जलयान से अवतरण किये गये माल जो बोर्ड के अधीन में है, भाड़े या जलयान के मालिक को दिये जानेवाले शुल्क से विमुक्त होता है, जब मास्टर, या जलयान के मालिक या एजन्टों से लिखित देय नोटिस प्रस्तुत करता है । माल गोदाम या शेड या बोर्ड के परिसर पर यह तो मामले के अनुसार होता है, मालों को मालिकों के उत्तरदायित्व तथा खर्च पर रखता है जहाँ तक कि ग्रहणाधिकार बीत चुका हो ।

91. पार्श्वों पर मालों की सुपुर्दगी :- जहाँ मालों की सुपुर्दगी जलयान के पार्श्व से किया जाता है तथा बोट उसे स्वीकार करता है या मालिकों द्वारा निकालने केलिए पोर्ट में उतारते हैं, मास्टर या मालिक को आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि माल भाड़ा या दूसरा कोई शुल्क अदा करने केलिए देय है कि नहीं ।

92. मालिकों द्वारा पैकेजों का खुला जाना :- सीमाशुल्क के कलक्टर, मालिक या उनके प्रतिनिधियों के निवेदन के अनुसार पैकेजों को खुला देने की अनुमति दी जाती है, जो यातायात प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया हो ।

93. पैकेजों के खुले जाना तथा नियंत्रण यातायात प्रबंधक की अनुमति के बिना वार्फ परिसर पर पैकेजों को आयातकर्ता निर्यातकर्ता या मालिक मूल्यांकन, परीक्षण तथा सर्वेक्षण के बिना खुला नहीं कर सकता । वार्फ परिसर पर मूल्यांकन, परीक्षण तथा सर्वेक्षण के लिए पैकेजों को खुले करने केलिए किसी भी कामगारों की नियुक्ति नहीं कर सकता यदि उप नियम 121 के अनुसार यातायात प्रबंधक द्वारा दी हुई बाड़ों को उपयोग नहीं करें ।

94. मालिकों के उत्तदायित्व में पैकेजों के खुले देना :- स्टीमर एजन्टों या मालों के मालिकों के निवेदन से परीक्षण, मूल्यांकन तथा सर्वेक्षण केलिए सीमाशुल्क विभाग के आदेश के अनुसार खुले माल मालिकों के उत्तरदायित्व पर रहेगा ।

95. मालों की सुपुर्दगी :- वार्फ परिसर से निकासी के बाद माल जो रेलवे वागन, लोरी, रेढ़ी या उसी प्रकार की गाड़ियों में भरा जाता है, मालिकों के उत्तरदायित्व में रहेगा ।

96. वार्फ आदि से पार्टियों द्वारा मालों को निकालना :- घाट, रोड या शेड से माल को निकालने नहीं दिया जएगा यदि सीमाशुल्क आयात आगमन पत्र या निर्यात गोत परिवहन बिल, सीमाशुल्क " आउट आफ चार्ज " आदेश या "पास इन्टु टाउन" आदेश तथा जहाज़ के अवतरण या नौभरण शुल्क तथा घाट भाड़े के दिये जाने की रसीद तथा मालों

के दूसरा कोई शुल्क देय है तो उसकी रसीद, इन सबको न प्रस्तुत करें । यातायात प्रबंधक कुछ विशेष परिस्थितियों में (पोर्ट के साथ पार्टियाँ खाता जमा किये हो) यथार्थ शुल्क जो मालों केलिए दिया जाना है, बशर्तेकि संबन्धित पार्टी चार्ज अदा करने की गारन्टी लिखित रूप में दिया जाय कि जमा खाते से शुल्क अदा करेगा ।

97. मालों का पूरीकरण :- जिन मालों की निकासी नहीं हुई है उनको वार्फ के परिवहन शेड या घाट से ओवरफ्लो शेड या दूसरे खुले स्थान जो वार्फ परिसर पर है बोर्ड की दर के अनुसार अनुबंदनीय मुफ्त समय के तुरन्त बाद ही मालों के मालिक, पूर्व नोटिस के बिना निकालने का आदेश यातायात प्रबंधक दिया जाता है ।

98. हथियार तथा युद्धोपकरण :- पोर्ट पर प्रवेश करने सभी जलयान पर मास्टर, मालिक या एजन्ट होंगे, प्रधान नौभार जो उतारने केलिए आता है, पैकेज जिनमें हथियार तथा युद्धोपकरण हो, पोर्ट पर प्रवेश करने के पहले ही यातायात प्रबंधक को पैकेज की पूरी सूचना दी जानी चाहिए । रेलवे फोग सिगनल तथा परकशन कापस (आघात) जो विस्फोटन की सुरक्षा फ्यूस है इनके अलावा और सुख भी वस्तुओं को वार्फ या स्ट्रोम बर्थ पर उतारने नहीं देते । पैकेज जिनमें आयुध तथा युद्धोपकरण है उतारने के पहले जलयान के प्रबंधक द्वारा मुहर बंद किया जाता है तथा किसी भी परिस्थिति में रात को उतारने नहीं देते । उतारने के तुरंत बाद उनको सीधे मालिकों को देता है जिन्होंने पहले से ही पैकेज के सुपुर्दगी केलिए तैयारियां की हो विनियम के ठीक अनुपालन के बिना उतार किये गये पैकेजों के संबन्ध में बोर्ड को कोई उत्तरदायित्व नहीं है ।

टिप्पणी :- पैकेज जिनमें हथयार तथा युद्धोपकरण है तथा राज्य या केन्द्र सरकार की संपत्ति है, अवतारण के पहले मुहर बंद करने की जरूरत नहीं है ।

99. विस्फोटक वस्तुओं को वहन करके जलयान का प्रवेश तथा लंगर डालना :- (1) उतारने केलिए विस्फोटक वस्तुओं सहित जलयान :- परिशिष्ट 'च' में विस्तृत रूप से बताये वाणिज्य विस्फोटक वस्तुओं सहित जलयान को सीधे पोर्ट में प्रवेश करने नहीं देते ।

(2) विस्फोटक वस्तुओं सहित नाविक जलयान का लंगर डालना :- स्ट्रोम बर्थ या वार्फ बर्थ के पार्श्व पर लंगर डाले लडाकू युद्ध जहाज में जो नाविक बोस्फोटक है, गोदी के उचित बारूद खाने में नौभरण नाविक बारूदखाना तथा विस्फोटक विनियम के आधीन बताये निरीक्षण में होता है । युद्ध जहाज के संबन्ध में नाविक बारूदखाना तथा विस्फोटक विनियम लागू नहीं है फ्लाग अधिकारी, कमांडिंग दक्षिणी नेवल क्षेत्र, कोचिन से एक प्रमाण देना है कि विशेष जहाज परंपरागत युद्ध जहाज है इसलिए जहाज पर विस्फोटक वस्तुओं को रखने केलिए यथेष्ट विनियम की आवश्यकता है बशर्तेकि संचालन नहीं होता उदाहरण के रूप में उस जहाज में कोई विस्फोटक युद्धोपकरण का ढाव या उतराव नहीं होता ।

(3) विस्फोटक वस्तुओं सहित नाविक जलयान के सूखी गोदी में लाना या ले जाना : थोड़ी सी समय केलिए सूखी गोदी में लंगर डाले लडाकू युद्ध जहाज़ जिसमें नाविक विस्फोटक जैसे भरा हुआ खोल चादर, वार हेडस, बम तथा 'क्यू एफ' युद्धोपकरण सहित बारूदखाना हो तथा जहाज़ी दल हो, नाविक बारूदखाना तथा विस्फोटक विनियम के अनुसार तथा युद्ध जहाज़ के संबन्ध में जहाँ नाविक बारूदखाना तथा विस्फोटक विनियम लागू नहीं है, फ्लाग आफोसर, कमांडिंग दक्षिणी नाविक क्षेत्र कोचिन से एक प्रमाण पत्र देना है कि वह जहाज़ परंपरागत युद्ध जहाज़ है इसलिए जहाज़ पर विस्फोटक वस्तुओं को निम्न लिखित उद्देश्य केलिए रखने की आवश्यकता विनियम की आवश्यकता है, बशर्तेकि उप जहाज़ों में कोई विस्फोटक युद्धोपकरण का चढ़ाव या उतराव नहीं होता ।

(i) नीचे लेपन करने तथा पानी के नीचे के पुर्जों की परीक्षा करना ।

(ii) विस्फोटक वस्तुओं को रखते निकटतम भाग में मरम्मत नहीं होता । अत: नोदक का बदलाव या पतवार की मरम्मत आदि केलिए ।

100. कालिसियम कारबाइड एवं कालिसियम फासफाइड :- (i) (क) कालिसियम कारबाइड या कालिसियम फासफाइड के नौभार जब पोर्ट में प्रवेश करता है जलयान के मास्टर या मालिक उसको सूचना उप संरक्षक तथा यातायात प्रबंधक को दी जानी चाहिए क्योंकि नौभार के प्रकृति तथा गुण की जाँच करना आवश्यक है ।

(ख) पोर्ट द्वारा नौभरण करने कालिसियम कारबाइड कालिसियम या कालिसियम फासफाइड के प्रेषण के मालिक या एजन्ट कम से कम एक हफ्ते पहले यातायात प्रबंधक या उप संरक्षक को सूचना देना है कि नौभरण के प्रकृति व गुण कैसी है तथा जलयान का नाम (आने की तिथि) जिसमें सामग्रियाँ भेजी है । सूचना के साथ मास्टर, मालिक या जलयान के एजन्ट से प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता है कि प्रेषण तो जहाज़ के जलयान से होता है ।

(ii) कालसियम कारबाइड तथा कालिसियम फासफाइड को ले जानेवाले जलयान के फलके उनको निकालने या पोर्ट से जलयान के जाने तक अच्छी तरह वायू संचरित करना है । उसी प्रकार कालिसियम कार्बाड या कालिसियम फासफाइड के लादन करते जलयान के फलके लादन के समय तथा पोर्ट से जलयान के चले जाने तक अच्छी तरह वायू संचार करना है ।

(iii) पोर्ट से कालिसियम कारबाइड एवं कालिसियम फासफाइड वायोरोद्ध बन्द धातु पीपा में ही ला सकता है । इस धातु मिश्रण में ताम्र का अंश न होना चाहिए । हर एक पीपा में 224 पाऊंड माने 102 किलोग्राम से अधिक मना है । इतने भार के कारण यह टूट जाय या हानि हो या यात्रा में असुरक्षित हो तो अन्यथा भारी गफलत से या असाधारण संयोग से नष्ट होने की संभावना है तो इस प्रकार के कालिसियम कारबाइड पात्र में पैक कर सकता है । यह कालिसियम कारबाइड नियम 1937 के नियम 6 के आधार पर ही किया जा सकता है । जो भी हो, कालिसियम कारबाइड और कालिसयम फासफाइड छोटे छोटे टिन या पैक (या अनुयोज्य पात्र) में रख सकता है, परन्तु इनको काष्ट आवरण अन्दर सुरक्षित रूप से बन्द करना है ।

(iv) कालिसियम कारबाइड या कालिसियम फासफाइड से भरा पीपा प्राधिकृत भंडारण स्थल के अलावा जहाज़ के क्षेत्राधिकार की सीमा में या और कहीं पर खोलना मना है ।

(v) कालसियम कारबाइड और कालसियम फोसफाइड के साथ जल की आद्रता के संपर्क होने से रोकने के लिए प्रत्येक उचित सावधानी लिया जाएगा । और जहाँ कही उस प्रकार के संपर्क हो तो प्रज्वलित करने से उत्पन्न होनेवाले गैस को रोकने के लिए ; और इस प्रकार के मामले में ग्रस्त पैकेज की निकासी के लिए यातायात प्रबन्धक के आदेश टेलिफोन द्वारा या और किसी प्रकार प्राप्त करना चाहिए ।

(vi) कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड के हर एक ड्रम में अच्छी तरह लेबल लगाना है तथा लेबल में मालिक या उनके प्रतिनिधियों के नाम तथा निम्नलिखित बातों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए ।

(क) "कालसियम कारबाइड" या "कालसियम फोसफेइड " यथा प्रसंग;

(ख) शुष्क रूप से न रखें तो खतरनाक है ; तथा

(ग) इस पैकेज में बंद वस्तु आद्रता से संपर्क होने पर ज्वलनात्मक गइस उत्पन्न करनेवाला है ।

प्रेषिति या मालिक का नाम और पता कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड से युक्त ड्रम में अंकित किया जाय ।

(vii) (क) कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड के अवतरण के लिए पहूँचे हुए जलयान जो वार्फ बर्थ पर लंगर डाला है; 48 घंटे के अंदर इसका अवतारण करना है । जहाज़ के अवतारण करने के तुरंत बाद ही इन चीज़ों को माल छुडाने के रूप में या आवश्यकता पड़ने पर रेलवे वागन में लादने केलिएजहाज़ के परिसर से जल्दी ही जल्दी हटा देना अनिवार्य है । एरणाकुलम वार्फ में कालसियम काबौंड शेड है । स्थल की उपलब्धता के अनुसार वहाँ रखा जा सकता है । इस स्थल के अलावा जहाज़ के परिसर के किसी भी भाग में इन चीज़ों को भंडार या ठहर जाने के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी ।

(ख) उसी प्रकार कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड का लादन जलयान के प्रस्थान के 48 घंटे के पहले नहीं होना चाहिए ।

निर्यात के लिए प्रेषण वार्फ परिसर पर तभी लाता है जब जलयान नौभार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो । सुविधानुसार एरणाकुलम वार्फ में कालसियम कारबाइड शेड दिया है उसके अलावा बोर्ड परिसर पर और कहीं भंडारण करने की अनुमति नहीं देते । यदि कालसियम कारबाइड शेड पर स्थल की कमी है तो उनको जहाज़ के जलयान पर ही रख दें, तथा मालिक या एजन्ट को देखना है कि नौभरण के लिए सभी तरह से (दस्तावेज़ सहित) तैयार है ।

टिप्पणी :- हर एक मामला के प्राधान्य के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में उप संरक्षक को 48 घंटे तक छूट दे सकता है ।

(viii) सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय के बीच कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड का अवतरण या नौभरण नहीं किया जाएगा ।

(ix) कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड का जलयान पोर्ट में बोर्ड पर है तो उसमें एक सक्षम पहरेदार जरूर होगा ।

(x) कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड से उत्पन्न गैस तापांक की सावधानी केलिए अपनी ओर से जो कुछ रकम खर्च किया गया है और उसकेलिए जो कुछ खर्च हुआ है, कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड का प्रेषण एजन्ट या मालिक उत्तरदयी होना चाहिए । कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड के हस्तन केलिए नियुक्त कार्मचारी के जीवन में हानि पहुँचना या क्षति होना या प्रेषण में गैस जलन द्वारा दूसरे व्यक्तियों के संपत्ति को क्षति पहुँचने पर उसके विरुद्ध कोई दावा मिलें प्रेषक का एजन्ट या मालिक इसकी क्षतिपूर्ती देने को जिम्मेदार है ।

(xi) (क) कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड का अवतरण सुरक्षा निरीक्षक या बोर्ड द्वारा समय समय पर प्राधिकृत व्यक्तियों के निरीक्षण में तथा सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दी हुई अनुमति पत्र के प्रस्तुत करने से ही संभव हो सकता है ।

(ख) कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड के बोर्ड के परिसर पर नौभरण की अनुमति नहीं देता, केवल सुरक्षा निरीक्षक या बोर्ड द्वारा समय समय पर प्राधिकृत व्यक्तियों के निरीक्षण तथा सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दी हुई अनुमति पत्र को प्रस्तुत करने से ही यह संभव हो सकता है ।

(xii) (क) एक अधिकारी अवतरण का निरीक्षण करता है, तथा समझता है कि एक रिसेपटकल में कोई हानि है या वह प्राधिकृत दूसरे रिसेपटकल जो उप नियम (iii) तथा (vi) के निदेश के अनुसार न हो तो वह किसी भी कारण से अवतरण करने नहीं देता कि उसके निपटान सीमाशुल्क कलक्टर या उनके द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी से लिखित आदेश प्रस्तुत करने से ही सम्भव हो सकता है ।

(ख) यदि कोई अधिकारी बोर्ड परिसर पर प्रेषण के प्रवेश का निरीक्षण करता है, समझता है कि एक रिसप्टाकिल की क्षति है या वह उपविनियम (iii) तथा (vi) में बताए प्राधिकृत निर्देश से भिन्न है वह किसी भी कारणवश बोर्ड परिसर पर प्रवेश करने नहीं देता , लेकिन यातायात प्रबन्धक तथा उप संरक्षक को टेलिफोन पर सूचना देगा। उस परिस्थिति में उप संरक्षक आवश्यक कदम उठा सकते हैं और उसका खर्च भी वसूल किया जा सकते हैं ।

(xiii) कालसियम कारबाइड या कालसियम फोसफाइड के रिसप्टकिल जो उप विनियम (iii) तथा (vi) में बताई गई आवश्यकताओं की पूर्ती नहीं करती है या कुछ क्षति है तथा सीमशुल्क के कलक्टर गहरे समुद्र पर डुबा देने की अनुमति देते हैं तो उसे समुद्र में 18 मीटर गहराई में डुबा देना चाहिए यह तो उप संरक्षक के निर्देश के अनुसार होना है तथा प्रेषक को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा ।

(xiv) जब कारबाइड या कालसियम फोसफाइड या उसके एजन्ट गैस के तापांक को रोकने के लिए उपविनियम (v) में बताए प्रतिविधि को न स्वीकार किया हो, पोर्ट के उप संरक्षक दूसरे जलयानों की रक्षा के लिए तथा

पोर्ट संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाधियों को स्वीकार किया जा सकते हैं तथा उसका खर्च भी वसूल किया जा सकते हैं ।

(xv) कार्ल्सियम कारबाइड या कार्ल्सियम फोसफाइड में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश में सतर्कता रखना चाहिए ।

(xvi) किसी भी कारणवश कार्ल्सियम कारबाइड या कार्ल्सियम फोसफाइड के भंडारण स्थल के आसपास खुली बत्तियाँ कृत्रिम बत्ती को मत रखना चाहिए ।

(xvii) कार्ल्सियम कारबाइड तथा कार्ल्सियम फोसफाइड ड्रम पर प्रयोग करने का हामर तथा छेनी नोन-फेरस मेटल का होना चाहिए ।

101. जहाज़ के जलयान पर विस्फोटक आदि :- पोर्ट के जहाज़ के जलयान में केवल सिगनल देने के उद्देश्य में ज्वलनशील तथा विस्फोटक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तथा इनको अनुयोज्य (बक्स) या बारूदखाने में ताला बंद करके सुरक्षित रखते हैं । किसी भी व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने नहीं देते, केवल अधिकारी के उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं जिनका उत्तरदायित्व यह है कि केस में सुरक्षित रूप से ताला बंद किया गया है, ताला मास्टर या जलयान के मालिक के अधीन में रखा है आदि देखना ।

102. अम्ल दियासलाई आदि:- वार्फ परिसर पर अम्ल, अक्वाफोर्टिस, विट्रियोल का तेल, दिया सलाई आदि के पैकेजस या किसी भी खतरनाक चीज़ों को लाने को अनुमति नहीं देते, यदि पैकेजस में अच्छी तरह अंकन नहीं किया होतो इनको वार्फ घाट पर ही रखेंगे और किसी भी परिस्थिति में उनको परिवहन शेड पर आने की अनुमति नहीं देते । पैकेज जिसमें दिया सलाई या उसी प्रकार की चीज़ को विस्फोटक नियम, 1940 अनुसूची के कालम नं. 7 के भाग 2 में बताया है , परिशिष्ट - 'ज' में व्यक्त किया है, यदि वार्फ परिसर पर रहने की अनुमति दे दें तो उसका निरीक्षण निरंतर रूप से चीज़ों के मालिक या मास्टर या जलयान के मास्टर की खर्च पर करना है ।

पैकेजस, जिनमें सुरक्षा कार्ट्रिडजस, रेलवे फोग सिगनल तथा आघात काप्स आदि है और जिसका विवरण विस्फोटक नियम 1940 में बताया है, अवतरण करने के तुरंत बाद खतरनाक सामानों के शेड पर मालिकों के खर्च पर स्थल सुविधानुसार निकालना है ।

पैकेजस जिसमें अम्ल, अक्वाफोर्टिस या विट्रियोल तेल है साधारणत: रात को नहीं निकालेंगे । यदि रात को इस प्रकार के मालों का अवतरण आवश्यक है तो यातायात प्रबंधक का तुरंत आदेश मिलना है ।

103. ईतैल फ्लूयड (टेट्रा ईतैल लेड) का उतराव :- निम्न लिखित शर्तों के आधार पर यातायात प्रबन्धक के लिखितपूर्व अनुमति मिलने पर बर्थ के पाश्वों पर ईतैल फ्लूयड का अवतरण होता है ।

(1) पोर्ट में आयातीत ईतैल फ्लूयड, विशेष रूप से निर्मित स्टील ड्रम , जो बहुत बल का हो, में पैक

करना है । ड्रम बाहरी तथा आंतरिक डाट के साथ सील करना है । संचालन के समय सतर्कता के रूप में रोलिंग ड्रम को अतिरिक्त रूप से जोड़ा देना है । इसके अलावा विशेष रूप से ड्रम में अंकन करना चाहिए कि उनमें ईंतैल फ्लूयिड है ।

(2) ईतेल फ्लूयिड के मालिक या प्रेषक सीमाशुल्क कलक्टर तथा यातायात प्रबंधक से प्रेषण की वस्तुओं को तुरंत बोर्ड परिसर से निकालने केलिए पहले से ही तैयारियाँ करनी चाहिए ।

(3) ईतैल फ्लूयिड का अवतरण केवल :-

(क) यातायात प्रबंधक द्वारा निर्धारित बर्थ पर प्रात:काल 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक के समय ; और

(ख) जलयान से सभी यात्रियों के अवतरण के बाद;

(4) ईतेल फ्लूयिड को निकालेगा यदि :-

(i) यातायात प्रबंधक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है :-

(अ) स्टीमर एजन्ट से सुपूर्दगी आदेश मिला है ;

(आ) प्रवेश करने केलिए दी हुई शुल्क का सीमाशुल्क बिल (सीमाशुल्क चार्ज से पूर्णत: पारित) मिला है ;

(ग) प्रेषण की वस्तुओं का विशद बीजक मिला है ;

(घ) वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा पारित आयात आवेदन (3 प्रतियाँ) मिला है ;

(ii) आवश्यक रोड या रेलवे वाहन , जिनमें लादन किए प्रेषण की वस्तुओं का सुपूर्दगी होता है, तैयारी पर है;

(iii) अवतरण के समय या बाद में कोई छेद आ जाय तो उसकी तुरंत आवश्यकता के लिए उपयोगी उपकरणों व सामग्रियों आदि के बारे में भी यातायात प्रबंधक सतर्कता रखनी चाहिए । आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा सामग्रियाँ मालिक या प्रेषक द्वारा सप्लाई करता है :-

दो जोडियाँ :

(क) रबड दस्ताना ;

(ख) रबड बूट्स ;

(ग) रबड एप्रन या ओयिल स्किन पोशाक ;

(घ) श्वसित्र

टिप्पणी :- उचित श्वसित्र वह है जो कानिस्टर टाइप का हो तथा जिसमें कम से कम 500 सी सी आक्टिवेटड चार्कोल निहित हो । ब्रिटीश सर्वीस टाइप श्वसित्र संतोषजनक है । यदि सुलभ है तो एयरलाइन डोल का भी उपयोग कर सकते हैं ।

(5) उतारने की अनुमति देने के बाद प्रेषण का ईतैल फ्लूइड जहाज़ के जलयान पर मालिक, प्रेषक या उनके प्रतिनिधियाँ जो सक्षम हो तथा यातायात प्रबन्धक द्वारा प्रतिनियुक्त एक अधिकारी आदि द्वारा निरीक्षण करना

है । यदि ईंतैल फ्लूइड ड्रम में कोई छेद है तो उसका अवतरण मरम्मत के बाद ही संभव हो सकता है या उसको बडे रिसप्टबल या पात्र में रखता है ताकि लीकेज से सुरक्षित हो ।

टिप्पणी :- लेदन के अवसर पर , उप विनियम (II) के आधार पर मापन करना चाहिए ।

(6) (क) ईतैल फ्लूइड उतारते समय एक उत्तरदायी सक्षम, मालिक या प्रेषक के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण करना चाहिए जिनको माल संबंधी अच्छी तकनीकी जानकारी हो ।

(ख) ड्रम से संबंधित काम तथा निरीक्षण दस्ताना की सहायता से ही करना है ।

(7) ड्रम जिनमें ईतैल फ्लूइड है उनको घाट से तुरंत सीधे रोड या रेल वाहन पर तथा ड्रम से उपर्युक्त वाहन पर बोर्ड परिसर से प्रेषण की वस्तुओं को, तुरंत निकालने के लिए मालिक या प्रेषक श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए ।

(8) ईतेल फ्लूयिड ड्रम का संचालन तथा उतराव बोर्ड क्रेन द्वारा होता है तथा स्लिंगस से प्रेषण श्रमिकों द्वारा सीधे रोड या रेल वाहन पर जो तुरंत सुपूर्दगी केलिए तैयार कर रखा है, निकालना है ।
टिप्पणी : उतारने केलिए पीपा हुक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

(9) ईतैल फ्लूयिड के बोर्ड वार्फ, घाट, खुला भंडारण स्थल या रोडस् से प्रेषण के बाद मालिक या प्रेषण प्रतिनिधियों प्रेषण के स्थल का निरीक्षण करना है तथा कोई छेद है या होने की संभावना है इन सबका निरीक्षण करना है । निरीक्षण तथा सफाई यातायात प्रबंधक द्वारा प्रतिनियुक्त एक अधिकारी के समक्ष होना है तथा मालिक के तथा प्रेषक के प्रतिनिधियों का एक प्रमाण पत्र देना है कि बोर्ड का परिसर दूषण से मुक्त है तथा साधारण उपयोग के लिए अनुयोज्य है ।

(10) ईतैल फ्लूयिड का ड्रम किसी भी परिस्थिति में बोर्ड के परिवहन शैड या माल गोदाम में न रखें ।

(11) छेद के अवसर पर निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए ।

(क) यदि ईतैल फ्लूयिड चर्म के साथ संपर्क स्थापित करें उस भाग को पिलायक जैसे मिट्टी का तेल से साफ करना है, बाद में साबून तथा पानी से धोना चाहिए ;

(ख) वस्तु जो ईतैल फ्लूयिड से खराब हो गया है उसको तुरंत निकालना है तथा बार बार क्लीर्निंग फ्लूयिड से जो ज्वलनशील नहीं है, साफ करना है ;

(ग) चप्पल तथा लेतर के चीज़ जो ईतैल फ्लूयिड के संपर्क से खराब हो गया है, उनको तुरंत निकालकर नाश करना है ;

(घ) यदि ईतैल फ्लूयिड का आघ्राण करें तो उसका श्वसन करने की संभावना है । इसलिए आदमियों को उस स्थल से दूर रहना है ।

(ङ) आदमी जो ईतैल फ्लूयिड के छेदन का निरीक्षण करता है, उप विनियम (4)(iii) के अनुसार बताये सुरक्षित उपकरण को धारण करना है ।

(च) क्षेत्र जहाँ ईतैल फ्लूइड का छेदन होता है (ड्रम के बाहर भाग सहित) निम्न प्रकार संचालन करना है ।

(i) मिट्टी का तेल या उसी प्रकार के हल्के तेल से साफ करना है, बाद में पानी से । यदि भूतल साबुन से साफ कर सकता है तो उसके बाद पानी से साफ करना है ।

(ii) यदि आवशोष्य पदार्थ का दूषण हो जाय, जैसे वुडन फ्लोरिंग, निभार, या दूसरे पैंकिंग सामान, संचालन के बाद से पदार्थ निकालना है या आग में जला देना है ।

टिप्पणी :- 1. छेदन को तुरंत पहचानने के लिए ईतैल फ्लूइड रंगीन चीज़ों से (पीला, लाल या नीला) रंगित है । इसके अलावा ईतैल फ्लूइड को एक अलग तथा अच्छा गंद भी है ।

2. यदि ब्लीचिंग लाइम तुरंत मिलने की संभावना है तो प्रथमत: ब्लीचिंग लाइम तथा पानी दोनों को मिलाकर साफ करना है । (सूखा पाउडर का उपयोग कभी भी न करें) साथ ही 5 प्रतिशत सलफूराइल क्लोराइड सोलुषन मिट्टी के तेल के साथ मिलकर उपयोग करें ।

(12) यातायात प्रबंधक से पूर्वानुमति मिलने के बाद ही नौवहन के लिए ईतैल फ्लूइड विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फ में लाता है और इसको घाट में या विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फ में और कहीं पडने नहीं देते, तुरंत ही नौवहन करेगा ।

(13) स्ट्रीम बर्थ में तथा/पाश्र्व में लाइटरेर्स से होकर बर्थ के पाश्र्व पर संचालित ईतैल फ्लूइड के संबंध में पूर्व सूचना लिखित रूप में उप संरक्षक को देना है साथ ही उसकी प्रतिलिपि यातायात प्रबन्धक को भी दिया जाना है । उपयुक्त नियम तथा शर्तों का पूर्ण उत्तरदायित्व आयात मालों के संबंध में मास्टर, मालिक या जलयान के एजन्ट तथा निर्यात के संबंध में शिप्पेर्स पर है ।

104. रूई, अलोयी फैबर सन, रूई फ्लै, तेली रद्दी, अमेरिकन रूई; आदि - अन् प्रेसड रूई का पैकेज या बफलोज़, डोकास तथा बंडिल्स, अमेरिक रूए, हेंप तथा जूट जो फुल पेसड बेइलों को छोडकर, इंडियन अलोयिरिया, कयर तथा अन्य फैबर फ्लेक्स,अवशिष्ट (शुद्ध और तेली) और रूई फ्लै जो फुल पेसड बीइलों को छोडकर या यातायात प्रबन्धक द्वारा निर्धारित अन्य कोई पैंकिंग, सभी तरह का घास, कॉल टार, पिच् तथा सिनेमा और केमरा फिल्मस जिसमें सेल्लुलोस न हो, अस्टेट या अन्य सुरक्षा बेस जो लकडी या धातु के केस में पैक किया हो और सेल्लुलोस के स्क्राप या अवशिष्ट फिल्मस, अस्टेट या अन्य सुरक्षा बेस जो लकडी, लोहा या स्टील ड्रम में पैक किया हो अन्य खतरनाक वस्तुएं जो बोर्ड द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया हो, ट्रान्सिस्ट शेड में नहीं रखा जा सकता है लेकिन जलयान के पहूँचते ही इसके मालिक या मास्टर , जलयान के मालिक या मास्टर या एजन्ट द्वारा सुपुर्दगी करना चाहिए । तथा यदि वैसे पैकेज बोर्ड के परिसर पर पोत लादन के लिए ले जाय तो उनको घाट, वार्फ या रोड पर छोड नहीं देते उनके तुरंत पोत लादन करना है । यातायात प्रबन्धक को रूई तथा उसी प्रकार की जोखिम वस्तुओं को भंडार घाट या खुले स्थल पर मालिक की जिम्मेदारी पर सुरक्षित रखने की तैयारियाँ करनी है, बरसात या और किसी कारण से कोई क्षति आ जाय तो बोर्ड उत्तरदायी नहीं है । यदि आवश्यकता पडने पर रूई तथा उसी प्रकार की जोखिम वस्तुओं को शिप्पेर्स या, मालिक द्वारा छ: घंटे के भीतर निकालना

चाहिए । उसको छः घंटे के भीतर न निकाला जाय तो यातायात प्रबंधक मालिक या शिप्पेर्स की खर्च पर निकालेंगे । साधारणतः अमेरिकन रूई के पैकेज परिवहन शेड पर सुरक्षित नहीं रख सकते । उनको घाट पर उतारने के बाद तुरंत पोर्ट के धुआ देने के कमरे पर, धुआ देने के लिए भंडार किए जाएंगे , इसका खर्च तो मालिक पर होगा बशर्ते कि यातायात प्रबन्धक अपनी विवेचन से, पर्याप्त कारण से इन पैकेजस की भंडारण की अनुमति उनकी शर्तों के अनुसार दिया जाता है ।

105. दबाब के अधीन स्थायी पिघला तथा द्रवीभूत गैस :- निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ही गैस , द्रव या द्रवीभूत असटिलिन के सिलिंडर को दबाब के अधीन सुरक्षित रख सकते हैं ।

(i) (क) गैस सिलिंडर नियम 1940 या भारत के मुख्य विस्फोटक निरीक्षक विशेष आदेश के अनुसार ही सिलिंडर जिसमें गैस द्रव आदि हो रखा जाएगा ।

(ख) सिलिंडर जिसमें पिघला असिटिलीन है उसके अनुसार बताए निर्देशों का पालन करना है ।

टिप्पणी :- खुला पिघला असिटिलीन सिलिंडर से साधारणतः असिटिलीन का कुछ भाग जो असटोन का पिघला हुआ है तथा पोरस मोस में विलीन हुआ है । उनको इस नियम के उद्देश्य के अधीन माना जाना चाहिए ।

(ii) दबाब के अधीन स्थायी पिघला तथा द्रवीभूत गैस सिलिंडर का रात में लादन की अनुमति नहीं दिया जाएगा

(iii) जब इस प्रकार के सिलिंडर का लादन विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फ में होता है तो वहाँ से सुपुर्दगी तुरंत ही प्रेषक द्वारा करता है नहीं तो यातायात प्रबन्धक द्वारा सुरक्षित स्थल पर प्रेषक की खर्च पर करता है ;

(iv) उतारने के बाद तथा वार्फ परिसर से निकालने तक या जोखिम पदार्थों को सुरक्षित रखने के शेड में रखने के समय तक इन सिलिंडरों को उचित आवरण डालकर सूर्य प्रकाश से सुरक्षित रखना चाहिए ;

(v) यातायात प्रबन्धक की पूर्वानुमति के बाद ही अधीन के स्थायी, पिघला तथा द्रवीभूत गैस सिलिंडर को नौवहन के लिए विल्लिंगडन आईलन्ड परिसर पर ला सकता है । उनको घाट या विल्लिंगडन आईलन्ड, वार्फ परिसर पर पडने नहीं देने लेकिन तुरन्त लादन किया जाएगा । प्रवाह में नौवहन के लिए उप संरक्षक से पूर्वानुमति लेनी चाहिए । और इन गैसों को जहाज़ के वश में कार्गो या अन्य अनोदक नाव में खींच के लाना चाहिए ।

106. अन्य खतरनाक वस्तुएं विष आदि:- (क) (i) बोर्ड द्वारा समय समय पर अधिसूचित "खतरनाक वस्तुएं" गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 28/2/58-पी IV दिनांक 8 आगस्त 1958 में जो "विष" घोषित किया है (परिशिष्ट " ज" के अनुसूची में सूचित किए गए मदों के अनुसार) और परिवहन एवं सिविल विमानन मंत्रालय, युनाइटड किंगडम रिपोर्ट में अधिकृत " जहाज में खतरनाक एवं विस्फोटक वस्तुओं का वहन " अथवा अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती खतरनाक वस्तु सहित जिसमें उन वस्तुओं को अपवाद है जो इन विनियमों में अवतरण या नौवहन के मालों को अन्यत्र विशेष नियम बताया गया है, में सूचित विषय एवं वसुओं से संबंधित उसी अधिसूचना बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया अनुमति के साथ ही अवतरण या लादन किया जाएगा या उनके द्वारा बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी से प्राधिकृत किया जा सकता है । इसके लिए अवतरण के समय जलयान के पहूँचने के पहले ही एजन्ट और नौभरण के संबंध में निर्यातक को सामान लादने के पहले व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र देना चाहिए ।

(ii) उपर्युक्त साधन युनाइटड किंगडम परिवहन मंत्रालय और सिविल विमानन रिपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तु संहिता में अंकित निर्देश के अनुसार सावधानी से पैंकिग, नंबर, लेबल आदि लगाना है । लेबलों में उतार - चढ़ाव संबंधी निर्देश तथा एक चेतावनी या सावधानी संबंधी विवरण भी देना चाहिए जो अनिवार्य है तथा उतार-चढ़ाव करनेवालों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त भी है ।

स्पष्टीकरण :- " लेबल " का अर्थ स्थापित गठरी, यदि कोई हो, के माल या ओष्ठक के तुरंत या सुदूर कन्टाइनर पर लिखित मुद्रित या ग्राफिक विषय से है ।

(ख) यातायात प्रबन्धक द्वारा लिखित अनुमति के बिना उप विनियम (क) में विहित माल होनेवाले गठरियों को विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फों में भंडार न करना चाहिए । उप संरक्षक द्वारा लिखित अनुमति के बिना ऐसी माल को लाइटर पर नहीं डालना है तथा यदि निजी जेट्टियों में उतारा है तो संकट की प्रकृति के अनुसार ऐसे मालों के उतराव के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों को यह देखना है कि ऐसे माल के भंडारण के निपटान , भंडारण से संबंधित लागू अधिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप माल का निपटान, भंडारण हो ।

(ग) संकटपूर्ण माल का वहन करनेवाला जलयान के मास्टर, स्वामी या एजन्ट पोर्ट में प्रवेश करने के पहले ऐसे मालों तथा उनके भंडारण के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करते उप संरक्षक के पूर्व अनुमति पायेगा ।

V. पेट्रोलियम जलयान एवं जलयानों का कोठरी

107. (क) पेट्रोलियम जलयान :- (1) आने पर झंडा फहराना :- श्रेणी 'ए' या 'बी ' के पेट्रोलियम वहन करनेवाला हर जलयान का मास्टर या बोर्ड पर जहाज़ीभाल होने के संदर्भ में पोर्ट पर आने पर अंतर्राष्ट्रीय चिह्नों के अनुसार झंडा 'बी' फहराएगा तथा दिन के समय फहराते रहेगा तथा रात के समय लाल दीप का प्रदर्शन करेगा जिससे स्पष्टत: सभी ओर दिखाई पडे ।

(2) हार्बर यानों द्वारा लाल झंडा का प्रदर्शन :- पेट्रोलियम वहन करनेवाला हर हार्बर यान दिन के समय बडा लाल झंडे को तथा रात के समय लाल दीप को रखेगा ताकि सारे कम्पास में देखा जाएं ।

(3) जलयानों के लिए बर्थ की व्यवस्था करना :- पेट्रोलियम का वहन करनेवाले जलयान साधारणतया विशेष बर्थ पर रखे जाएंगे तथा बाढ़ तरंग या ज्वार-भाटा के अनुसार पोर्ट के अंदर नहीं लाना होगा ।

बशर्ते कि निकर्षण प्रचालनों में खाली तेल बर्थों को कमी के कारण जब तेल बर्थ उपलब्ध नहीं होते हैं, असाधारण मामलों में बोर्ड पर अधिक मात्रा में पेट्रोलियम को नौभार के रूप में वहन करनेवाले जलयानों को बोर्ड अध्यक्ष की लिखित पूर्वानुमति से अन्य बर्थों में स्थान दिया जा सकता है ।

(4) अन्य जहाज़ों आदि के बीच यानों को बर्थ देने वक्त लिए जानेवाले पूर्वाविधान:- केन्द्र सरकार द्वार नियुक्त अधिकारी द्वारा मंज़ूर प्रमाण पत्र को जहाज़ का मास्टर प्रस्तुत करने तक बोर्ड पर नौभार के रूप में अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का वहन करनेवाला जलयान को अन्य जलयानों के बीच पोर्ट उप संरक्षक के निदेशों के अनुसार तेल बर्थ का या दूसरे बर्थ की ओर जाने के अलावा लाना या तेल बर्थ के अलावा अन्य बर्थों पर स्थान देना या शुष्क गोदी में प्रवेश करने देना नहीं करना चाहिए तथा ऐसे अधिकारी का प्रमाण पत्र इस प्रकार का हो कि अधिकारी ने बाष्प परीक्षण साधन की सहायता से टैकों की जाँच की तथा जलयान खतरनाक बाष्प से मुक्त है तथा गोदी में प्रवेश करने लायक स्थिति में है ।

(5) अन्य पूर्वाविधान:- (i) सभी टैंक अर्ध कपाटों को ठीक तरह बंद करने तक पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का वहन करनेवाला किसी जहाज़ से माल उतारना या चढ़ाना न करना चाहिए ।

(ii) पेट्रोलियम का वहन करनेवाला किसी जहाज़ के बगल से जानेवाले हार्बर यान के किसी न किसी कर्मियों के पास दिया सलायी या कोई अन्य जलने योग्य सामग्रियां न होनी चाहिए ।

(iii) परिसरों में अन्य यानों के चलते समय पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का कोई हार्बर या ऐसी रीति में न चले कि जिससे कोई टक्कर होने की जोखिम न हो ।

(iv) यान से चूना या अन्यथा पेट्रोलियम चले जाने का निवारण करने में बोर्ड पर पेट्रोलियम हुआ किसी न किसी यान का मालिक या फिलहाल कोई न कोई प्रभारी व्यक्ति प्रभावी उपाय निकालेगा ।

(v) उप संरक्षक से लिखित पुष्टि या उनके द्वारा जारी किया कोई निदेश के बिना कोई यान खतरनाक पेट्रोलियम को निकालनेवाला यान से 60 मीटरों के आसपास नहीं पहूँचना है । यह नियम बोर्ड पर पाइलट हुआ यानों तथा तेल जेट्टियों के सामने एण्णाकुलम चैनल में चुमनेवाले यानों के लिए लागू नहीं है ।

(vi) पोर्ट में यानो के कोठरी के लिए इस्तेमाल किए तेल बार्ज समुद्रलायक, मनुष्य जुटा देने में, संवारने में तथा नियुक्त करने में पेट्रोलियम नियम 1937 तथा समय समय पर संशोधित प्रकार होना है । तेल बंगरों को प्राप्त यान के बोर्ड पर सभी आवश्यक सुरक्षा पूर्वाविधानों को जहाज़ के उत्तरदायी डेक व इंजन कक्ष अधिकारी लेगा तथा प्रचालनों का पर्यवेक्षण करेगा ।

(vii) पेट्रोलियम का उतराव या चढ़ाव शुरु होने के पहले तट पर के पाइप लाइन से बोर्ड पर के वाल्वों को जुडाने में कवचधारी होस का इस्तेमाल किया जाएगा तथा सभी संबंध पूरी तरह चूना- प्रूफ ली तथा यांत्रिकी व विद्युत रूपेण अविच्छिन्न किए जाएंगे ।

(viii) पेट्रोलियम के उतराव व चढ़ाव में उपयोगित सभी पाइपों व अन्य सामग्रियाँ चूना से मुक्त होना है ।

(ix) पेट्रोलियम के उतराव व चढ़ाई में आग के कारण दुर्घटना के निवारण में सभी विहित पूर्वाविधानों को तेल यान का मालिक, एजन्ट या मास्टर लेगा ।

(x) तेल जलयान का मालिक, एजन्ट या मास्टर को काफी कदम उठाना चाहिए कि पेट्रोलियम का उतराव व चढ़ाव होनेवाले स्थान के पास या उसपर अपने नियंत्रण के अधीन के कोई व्यक्ति को धूम्रपान करने से रोकें तथा ऐसे उतराव या चढ़ाव में लगा व्यक्ति का जो फ्यूस, दियासलायी या ज्वलन पैदा करनेवाली कोई सामग्री का वहन करने से निरोध करें ।

(xi) चिनगारी पैदा करनेवाले लोहा व इस्पात हथौड़ा या अन्य उपकरणों का पेट्रोलियम जहाज़ के टैंक ढ़क्ना या कपारों को खोलने व बंद करने में इस्तेमाल न करना चाहिए तथा परिसरों में पेइंट व लोहा जंग को नहीं काटना चाहिए ।

(xii) पोर्ट में कोई जलयान के रहते वक्त इन नियमों के उपबन्धों का पालन करने तथा प्रभाव देने केलिए दिन व रात बोर्ड पर जलयान का इंजीनियर व उत्तरदायी अधिकारी होना चाहिए । मास्टर को अनुपस्थिति में बोर्ड पर वरिष्ठ डेक अधिकारी उत्तरदायी अधिकारी होगा । जब उतराव व चढ़ाव हो रहा है या शुरू होनेवाला है यह परमावश्यक है कि मास्टर या मुख्य अधिकारी तथा मुख्य व दूसरा इंजीनियर को बोर्ड पर होना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि जलयान तथा उसके नौभार की सुरक्षा केलिए हर आवश्यक पूर्वाविधान लिया है तथा ऐसी सभी समय इंजन, बोइलर व सयंत्र चलाऊ स्थिति में होगा ताकि पोर्ट के उप संरक्षक द्वारा अपेक्षित प्रकार भाप के उठाते ही जलयान चल सकें ।

(xiii) पेट्रोलियम के उतराव या चढ़ाव की पूरी अवधि के दौरान टैंकर के बगल में आग यान के अतिरिक्त पोर्ट आग सेवाओं के एक उत्तरदायी अधिकारी के निरन्तर अधीक्षण के अंतर्गत तेल जेट्टी पर पाइपलाइन तथा अन्य दल रहेंगे ।

(xiv) जब पेट्रोलियम का उतराव या चढ़ाव शुरू हुआ है, ऐसा उतराव व चढ़ाव उचित ढंग से चलाना होगा तथा यदि वह रोक गया है तो पेट्रोलियम जहाज़ के टैंक भीतरी भाग को तुरंत बन्द करना है ।

(xv) संलग्नकों (एणाकुलम तट के सामने) जिसमें विनियम कारागार तथा उसकी भांति स्थित है तथा एरणाकुलम तेल जेट्टियों में प्रवेश केलिए पोर्ट के कार्यों या सेवाओं से संबन्ध कार्य उक्त परिसरों में होनेवाले लोगों को परमिट के रूप में बोर्ड अध्यक्ष द्वारा नियमित किया जा सकता है, यदि बोर्ड अध्यक्ष ऐसा निदेश करता है तथा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन करने पर परमिट जारी किया जाएगा ।

उक्त उप विनियम में उल्लिखित परिसरों में प्रवेश करने ज्वलन पैदा करनेवाले फ्यूज़, दियासलाई या कोई साधनों का वहन करनेवाले व्यक्तियों को अनुमति न दी जाएगी ।

(ख) कोचिन पोर्ट में खतरनाक पेट्रोलियम का उतराव व चढ़ाव करनेवाले बल्क तेल जलयान ।

(1) उप संरक्षक को सूचना - पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव व चढ़ाव होने के पहले तेल जलयान का मालिक, एजन्ट या मास्टर संरक्षक को उचित सूचना देगा ।

(2) उतराव व चढ़ाव का स्थान - उप विनियम (क) (3) में विहित प्रकार विशेष परिस्थितियों के अलावा एरणाकुलम तेल जेट्टी पर ही पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव या चढ़ाव होना है ।

(3) जहाज़ का भीतरी भाग आदि का वेंटिलेशन :- कास्कों, बारलों या अन्य कान्टाइनरों में स्थित कोई पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव के पहले, ऐसे कन्टाइनर में हुए तेल जलयान के बोर्ड के भीतरी भाग में वेंटिलेशन पूर्ण रूप से होना चाहिए, तथा तेल जलयान से पूरा पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' निकालने के बाद ज्वलन भाप से टैंकों व जहाज़ के भीतरी भागों को मुक्त करना चाहिए ।

(4) **(i)** पेट्रोलियम का उतराव :- उप विनियम (ख) (6) के उपबन्धों के अनुसार पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' दिन या रात को उतराव किया जा सकें परन्तु उस प्रकार का उतराव सूर्यास्त के पहले शुरू होना चाहिए ; तथा सूर्यास्त के बाद ऐसे उतराव के दौरान कुछ न कुछ होने से संयत्र पाईपों या कडियों का मरम्मत होने पर ऐसा उतराव सूर्योदय तक बंद रहेगा -

बशर्तेकि यदि तटीय पाईपलाइनों से टैक जहाज़ों का संपर्क हुआ है तथा पेट्रोलियम श्रेणी 'बी' का उतराव शुरु हुआ है या सूर्यास्त के पहले पानी को पंप करने से पाईपलाइनों का बहाव हुआ तो, पेट्रोलियम श्री 'ए' का उतराव सूर्यास्त के बाद असल में शुरू होने पर भी वे पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव उसके बाद शुरू करें ।

(ii) परिशिष्ट 'I' की आवश्यकताओं के अनुरूप होनेवाले तेल जलयान तथा जिसकी नौभार भीतरी भाग अतथा पंप कक्षों से सुदूर स्थिति में स्थित आंतरिक कंबस्टन इंजनों द्वारा या अपने बाइलरों से भाप द्वारा पेट्रोलियम उतारने की अनुमति दी जाएगी ।

(iii) परिशिष्ट 'I' की आवश्यकताओं के अनुरूप होनेवाले तेल जलयान तथा जिसकी नौभार पंप विद्युत मोटोर द्वारा चलाया जाता है, अनुमोदित डिज़ाइन का होगा तथा मोटोर कंपार्टमेंट में प्रवेश करनेवाला ज्वलनशील भाप की संभवत: रोकने काफो ऊंचाई की वायु - शीर्ष द्वारा नौभार पंप से उसका संपर्क पृथक किया जाएगा । खुला शीर्ष द्वारा जानेवाला ड्राइविंग शाफ्ट के स्थल पर वायु टाइट ग्लान्ड लगा जाएगा ।

(5) बोर्ड पर भाप उत्पन्न करते समय पूर्वविधान बोर्ड पर भाप उत्पन्न करने के क्रम में पंप करना तोडना आवश्यक होने के संदर्भ में बाइलर आग चलाने के पहले जलयान के परिसरों में तेल पाइपों को पानी से साफ करना है तथा पयर शीर्ष पर वाल्व को बंद करना होगा ।

(6) विद्युत शक्ति का इस्तेमाल करने में प्रतिबंध:-65° सेन्टीग्रेड से कम मत्स्यन बिन्दु होनेवाले तेल वहन करनेवाले जहाज़ों के लिए विद्युत फिटिंगों के लिए जलयान का विद्युत यंत्र ललोयड के या अन्य अनुमोदित सोसाइटी की

आवश्यकताओं की अनुसार न होने पर पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' का उतराव या चढ़ाव करते समय विद्युत शक्ति का उपयोग करने अनुमति नहीं है ।

(7) बाइपास वाल्व- पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' का उतराव करते हर जलयान से जहाज़ टैकों से पीछे की ओर संबद्ध पंप के उतराव पक्ष की ओर बाइपास वाल्व का फिटिंग होगा ।

(8) आग व दिया की उपयोगिता :- पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव या चढ़ाव के प्रयोजनार्थ तेल जलयान के टैंक व भीतरी भाग प्रथम बार खुले जाने के समय से सभी पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव या चढ़ाव टैंकों व भीतरी भागों से पूरा होने के बाद टैंक व भीतरी भागों को सुरक्षात्मक ढंग से बंद करने तक तथा उतराव के संदर्भ में इन विनियमों में अपेक्षित प्रकार ज्वलनशील भाप से मुक्त होने तक पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव या चढ़ाव होनेवाले जहाज़ों व स्थानों में बोर्ड पर आग या कृत्रिम दिया न होनी चाहिए ।

बशर्ते कि परिशिष्ट ' I ' की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जलयानों के मामले में यह उपविनियम बाइलर आग का निषेध नहीं करेगा ।

बशर्ते कि ज्वलनशील भाप को ज्वलन करने में अक्षम होने के प्रकार डिज़ाइन किया, निर्माण किया एवं संरक्षण किया विद्युत के या अन्य लाम्पों, हीटरों, कुकरों या उसी प्रकार के सुरक्षा उपस्करों की उपयोगिता भी इस उपविनियम द्वारा रोका नहीं जा सकता ।

(9) धूम्रपान निषेध :- तेल जलयान का मालिक, एजन्ट या मास्टर अपने नियंत्रण के अधीन के कोई व्यक्ति पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव या चढ़ाव होने के स्थल पर धूम्रपान करने से निरोध करने में तथा ऐसे उतराव व चढ़ाव में रत कोई व्यक्ति ज्वलनशील कोई फ्यूस दियासलायी या कोई साधन वहन करने से निरोध करने में काफी कदमें उठाना चाहिए ।

(10) उतराव व चढ़ाव करते समय पूर्वाविधान :- (i) पेट्रोलियम का उतराव व चढ़ाव के शुरुआत के पहले तट पर पाइप लाइन से बोर्ड पर वाल्वों का संबद्ध रबने कवचधारी होस का उपयोग किया जाएगा तथा सभी संबंध यांत्रिक व विद्युत रूप से पूर्णरूपेण लीकप्रूफ़ किए जाएंगे ।

(ii) पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' के उतराव व चढ़ाव में उपयोगित सभी पाइपों व अन्य साधनों का लीकेज से मुक्त होना है ।

(iii) जब एक जहाज़ में पेट्रोलियम श्रेणी 'सी' के अलावा और कोई पेट्रोलियम का उतराव व चढ़ाव पूरा किया है लाइन द्वारा पानी का पंपिंग करने से तुरंत पाइप लाइन पेट्रोलियम से खाली करना होगा ।

(iv) उप विनियमों के 10 (i)(ii) के उपबंधों से कोई अमुक मामले को छूट देने का लिखित आदेश मुख्य विस्फोटक निरीक्षक द्वारा दिए जाएं ।

(11) उतराव व चढ़ाव ध्यानपूर्वक होना है :- जब पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव व चढ़ाव शुरु होता है, ऐसे उतराव व चढ़ाव उचित ध्यानपूर्वक होना है तथा यदि वह रोक गया है तो पेट्रोलियम जहाज़ के टैंकों व भीतरी भागों को तुरंत बंद करना है ।

(12) पेट्रोलियम के भाग जाने में पूर्वाविधान - पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' को पोर्ट के पानी में नहीं जाने देना चाहिए ।

(13) आग के विरुद्ध पूर्वाविधान :- (i) पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' के उतराव व चढ़ाव में आग के कारण दुर्घटनाओं का निवारण करने में सभी उचित पूर्वाविधानों को तेल जलयान का मालिक, एजन्ट या मास्टर लेगा ।

(ii) पेट्रोलियम जहाज़ के टैंक ढंकनों या कपाटों को खुलने या बंद करने के प्रयोजनार्थ चिनगारी उत्पन्न करने में सक्षम लोहा या इस्पात हथौड़ा या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल न करना चाहिए या परिसरों में लोहा जंग या पेइन्ट नहीं काटना है ।

(iii) पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव या चढ़ाव होनेवाला के या जिसपर पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' पड़ा हुआ है, आग तथा दियर (बिद्युत फिलमेन्ट दिया या स्वधारित बिद्युत दीपों, हीटरों , कुकरों या अन्य उसी प्रकार के सुरक्षा औजार जो ज्वलनशील भाप को उकसाने में सक्षम हो, के अलावा) का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ।

(iv) पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव या चढ़ाव होते समय टैंकर के बगल में आग यान होने के अतिरिक्त तेल जेट्टी के पाइपलाइन तथा अन्य फिटमेंट पोर्ट आग सेवाओं के उत्तरदायी अधिकारी के पर्यवेक्षण में होना है ।

(14) पेट्रोलियम जलयानों के बीच दूरी :- दो या ज़्यादा पेट्रोलियम जहाज़ के बीच, ट्रान्शिपमेन्ट के प्रयोजन के अलावा एक से दूसरा 30 मीटरों की दूरी पर होना है अन्यथा ऐसी दूरी रखना पोर्ट के उप संरक्षक की राय में असंभव है ।

(15) बोर्ड पर उत्तरदायी अधिकारी का होना :- कोई जलयान पोर्ट में होने के दौरान इस विनियम के उपबंधों का पालन करने या लागू करने में दिन व रात जलयान का एक जिम्मेदार अधिकारी व इंजीनियर बोर्ड पर होना चाहिए । मास्टर की अनुपस्थिति में वरिष्ठ डेक अधिकारी बोर्ड पर जिम्मेदार अधिकारी होगा । जब उतराव व चढ़ाव हो रहा है या होनेवाला है, मास्टर या मुख्य अधिकारी तथा मुख्य इंजीनियर या दूसरा इंजीनियर बोर्ड पर होना है तथा यह देखना है कि जलयान तथा उसके नौभार की सुरक्षा केलिए हर आवश्यक पूर्वाविधान लिया जाता है तथा पोर्ट के उप संरक्षक द्वारा अपेक्षित प्रकार भाप उठते ही जलयान के चलन केलिए सभी इंजन बायलर तथा संयंत्र काम चलाऊ रूप में संरक्षण किए जाएं ।

(16) अन्य पूर्वाविधान :- (i) नौभार के रूप में इंधन तेल के अलावा बोर्ड पर पेट्रोलियम होनेवाला हर जलयान पोर्ट में बांधते समय आपत्कालीन संदर्भ में टग को पकड़ने के अनुकूल हासर वयर के अंद को पानी की सीमा में डूबा तथा तट ऊपर होना है ।

(ii) इंधन तेल के अलावा बोर्ड पर नौभार के रूप में पेट्रोलियम होनेवाला हर जलयान उतराव य चढ़ाव या कपाटों के खुले रहते समय आग होस संबद्ध रहेंगे तथा सभी आग होस संबद्ध रहेंगे तथा तत्काल उपयोगिता केलिए सभी आगशमन उपकरण तैयार रखे जाएंगे तथा पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का उतराव या चढ़ाव होते समय सभी शमियाना को लपेटना होगा ।

(4) पेट्रोलियम व उसके उत्पादनों का उतराव व चढ़ाव के लिए पूर्वानुमति :- पोर्ट के उप संरक्षक या सीमाशुल्क के समाहर्ता की अनुमति लिए बिना आयात किया पेट्रोलियम या उसके उत्पादनों का उतराव नहीं होगा । उसी प्रकार उप संरक्षक के बिना पूर्वानुमति पेट्रोलियम या उसके उत्पादनों को जहाज़ों पर उतराव या लाइटरों पर चढ़ाव न करना चाहिए । पैक किया पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादनों को उतारते या विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फ में चढ़ाव के लिए लाने के पहले यातायात प्रबन्धक की निर्दिष्ट लिखित अनुमति लेना होगा ।

(5) पालन करने पेट्रोलियम नियम :- पेट्रोलियम नियम, 1937 के नियम 27 या 28 के उपबन्धों के अनुसार बर्तनों में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादन रखे जाएंगे ।

(6) टपकना आदि से मुक्त बर्तन:- टपकने से मुक्त बर्तनों तथा ऐसे बर्तनों में जो असावधानी व असाधारण दुर्घटना के अलावा फटे या टपकने में असमर्थ हो, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादन ड्रमों या अन्य बर्तनों में उतराव या चढ़ाव न करना चाहिए । आयातों के संदर्भ में स्टीमर एजन्ट तथा निर्यातों के मामले में शिप्परों की ओर से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडता है कि बर्तन उक्त नियमों के अनुसार है ।

(7) उतराव व चढ़ाव का समय:- सूर्योदय तथा सूर्यास्त घंटों के बीच के अलावा पैक किया पेट्रोलियम व उसके उत्पादनों को साधारणतया उतराव या चढ़ाव न करना चाहिए । असाधारण परिस्थितियों से उप संरक्षक या यातायात प्रबन्धक की लिखित पूर्वानुमति से उतराव व चढ़ाव , उक्त अनुमति में विहित शर्तों के अन्तर्गत , हो सकता है ।

(8) पूर्वाविधान :- (i) जलयान वार्फ बर्थ पर होते समय जलयान द्वारा पूर्ण रूप से निगराने के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाएंगे तथा आग व धूम्रपान के विरुद्ध सभी आवश्यक पूर्वाविधानों का पालन सख्त रूप से किया जाएगा । तट पर भी उसी प्रकार के प्रबन्ध किए जाएंगे । बगल के बर्थों पर के जहाज़ों की रक्षा करना ध्यान में रखा जाएगा । पेट्रोलियम व उसके उत्पादनों का हस्तन करनेवाला जलयान तथा बगल के बर्थों के जलयानों के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए । यदि पोर्ट के उप संरक्षक की राय में ऐसी दूरी रखना असंभव है तो 7.5 मीटरों से कम न होनेवाली दूरी तक कम किया जा सकता है ।

(ii) जिस हाच से पेट्रोलियम व उसके उत्पादनों का उतराव होता है या जिसमें उनका चढ़ाव होता है, उतराव व चढ़ाव पूरा होने तक जलयान के बोर्ड पर कार्यरत अधिकारी जिसके पास दूसरा मेइट से निम्नतर न होनेवाला सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करनेवाला होता है, कर्तव्य पर होना है । तट पर सहायक वार्फ अधीक्षक के रैंक से निम्नतर न होनेवाल पोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रचालनों का निर्वाह करना चाहिए ।

(iii) पेट्रोलियम या उसके उत्पादनों का हस्तन करनेवाला जलयान से 15 मीटरों के अंदर आग , किसी तरह का दीप तथा धूम्रपान न होने देना चाहिए ।

(iv) उसी समय पैक किया पेट्रोलियम या अन्य पेट्रोलियम उत्पादनों के अलावा अन्य ज्वलनशील नौभार का उतराव व चढ़ाव न करना है ।

(v) पेट्रोलियम या उसके उत्पादनों का उतराव व चढ़ाव में रत कोई व्यक्ति ज्वलन या विस्फोटन करनेवाला फ्यूज़, दियासलायी या कोई अन्य साधन का वहन नहीं करना है ।

(vi) सुविधाजनक स्थलों पर सूखा रेत के बकट रखे जाएंगे; पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादनों का निपटान करनेवाला जलयान के दोनों ओर फोम संबंध के साथ आग पंप रखे जाएंगे .

(vii) विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फों पर कोई पैक किया पेट्रोलियम का उतराव या चढ़ाव होते समय जलयान का मास्टर, मालिक या एजन्ट तथा आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता, जो भी हो, इस संदर्भ में एक कूप्पर तथा सोल्डरर उपस्थित होने का प्रबन्ध करेगा ।

(9) टपकनेवाले बर्तन :- स्टीमर एजन्ट व शिप्पर यह देखें कि बर्तन सभी सावधानी से जाँच किए हैं तथा टपकनेवाले बर्तनों का उतराव व चढ़ाव न हुआ है । आयातों की स्थिति में , कोई टपकनेवाला बर्तन दिखाया तो बोर्ड पर अलग रखना है तथा अन्य ठीक ठाक बर्तनों के साथ उतराव नहीं करना है । ठीक ठाक बर्तनों का पूर्ण रूप से उतराव होने के बाद तथा पेट्रोलियम शेड में डालने या वार्फ परिसरों से निकालने के बाद उतराव करनेवाला जलयान के बोर्ड पर कर्तव्यरत प्रिवेन्टिव अधिकारी के पर्यवेक्षण में जलयान के वार्फ तरफ पर लाइटरों में टपकनेवाले बर्तनों की सामग्री ठीक ठीक कन्टेयनरों में स्थानांतरण करनी चाहिए। स्टीमर एजन्ट अपनी जोखिम व खर्च पर यह काम करना चाहिए। तभी बर्तनों को सावधानी से पेट्रोलियम शेड को या वार्फ परिसरों से निकालकर उतराव या चढ़ाव करना चाहिए। यदि बर्तन उप विनियम (5) तथा (6) के अनुसार हो तथा ठीक स्थिति में हो तभी जहाज़ पर चढ़ाव केलिए माल को वार्फ परिसरों में लाना चाहिए। टपकनेवाले बर्तनों को अन्तर्वस्तु को वार्फ परिसरों में लाने के पहले कर्तव्यरत सहायक वार्फ अधीक्षक के संतृप्ति के अनुसार ठीक ठाक बर्तनों में स्थानान्तरित करना चाहिए।

(10) उप संरक्षक का अनुमोदन :- नौभार लाइटर, बोट तथा उसके उपस्करों द्वारा पैक किया पेट्रोलियम व उसके उत्पादनों उतराव व चढ़ाव के संबन्ध में उप संरक्षक द्वारा अनुमोदन होना है तथा जलयान के प्रत्याशित आगमन तिथि के पहले ऐसे प्रचालन चालू करने लिखित अनुमति लेनी चाहिए। जब पेट्रोलियम श्रेणी 'बी' के उतराव व चढ़ाव हार्बर यान का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी पेट्रोलियम की मात्रा हार्बर यान में किसी भी संदर्भ में अस्सी हज़ार लिटर से ज़्यादा न होनी चाहिए तथा उसी समय पर उस प्रयोजनार्थ बारह हार्बर यान जिसमें छः से ज़्यादा काम हार्बर यानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' के संदर्भ में हार्बर यान में सीमा तीस हज़ार लिटरों तक सीमित है।

(11) अन्य आवश्यकताएं :- (i) पैक किया पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादन वहन करनेवाले सभी हार्बर यान तथा चलनेवाले जहाज़ पोर्ट सीमाओं के अंतर्गत रस्सी के अंदर ही यात्रा करेंगे । उतराव व चढ़ाव प्रचालन बिना विलंब होंगे । ऐसे पेट्रोलियम का वहन करने वाले हार्बर या किसी जलयान के बगल में बेकाम रहना नहीं दिया जाएगा ।

(ii) प्रवाह में खतरनाक पेट्रोलियम का निपटान करनेवाले जलयानों के संबंध में भी उप विनियम (8) तथा (9) की आवश्यकताओं का पालन करना होगा ।

(iii) किसी हैच में पैक किया पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादनों का उतराव या चढ़ाव करते समय हैच के पास और कोई अन्य नौभार का निपटान नहीं करना है ।

(iv) एक जलयान से चलनेवाला और एक जलयान में बारह हज़ार लिटर से ज्यादा पैक किया पेट्रोलियम का उतराव व चढ़ाव नहीं करना है ।

(v) साधारण नौभार तथा पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' का उतराव व चढ़ाव एक ही समय किया जा सकता है यदि वे अलग रूप से हैं तो, लेकिन जब पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' का उतराव व चढ़ाव होते वक्त ऐसे जलयान से कोई अन्य नौभार का उतराव व चढ़ाव नहीं करना है ।

(vi) पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' का वास्तविक अंतरण हार्बर में रेल डिब्बा के अलावा सूर्यास्त व सूर्योदय के बीच न करना चाहिए अर्थात् रात के समय पेट्रोलियम का निपटान किसी प्रकार न करना चाहिए या हार्बर यानों पर न पड़ा रहना चाहिए ।

(vii) पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' का उतराव शुरु होने के पहले या वह चालू होते वक्त पोर्ट का फोम जनरेटर हमेशा उतराव स्थल पर रहेगा ।

(viii) एर्णाकुलम या मट्टान्चेरी चैनल में चलनेवाले जहाज़ों के बगल में चाहे पोर्ट में प्रवेश करते समय या छोडते समय या पोर्ट के अंदर एक बर्थ से और एक बर्थ तक अंतरण करते समय पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का वहन करने वाला कोई हार्बर या अंतरण में नहीं होना है ।

(ix) पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' का निपटान होते समय पेट्रोलियम नियम 1937 के नियम 105 के अनुपालन में जलयान के बोर्ड पर कहीं भी बिजली दीपों के अतिरिक्त किसी प्रकार का रसोई आग, धूम्रपान या दीप नहीं होना है ।

(x) सही बर्तनों के हार्बर यान पर पेट्रोलियम का टपकनेवाले बर्तनों का उतराव न करना चाहिए ।

(xi) जहाँ हार्बर यानों का इस्तेमाल किया जाता है किसी एक हार्बर यान में दस हज़ार लिटर से ज्यादा ख़तरनाक पेट्रोलियम का चढ़ाव न करना चाहिए ।

(xii) बिना उप संरक्षक की अनुमति आयात किया पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' हार्बर यान पर न रखना चाहिए । पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' का वहन करनेवाले जलयानों का संभव विलंब का निवारण करने ऐसे जलयानों के एजन्ट अपने पेट्रोलियम श्रेणी ' ए' नौभार का निपटान करने के लिए उप संरक्षक के साथ शीघ्र प्रबन्ध करवाना है ।

(xiii) चढ़ाव के लिए विहित पेट्रोलियम श्रेणी 'ए' पोर्ट के उप संरक्षक की अनुमति के बिना हार्बर यान में तथा जिस जलयान में ऐसी पेट्रोलियम का चढ़ाव होना है, तैयार हो ।

(12) पेट्रोलियम के पलायन का निरोध :- परिवहन के समय मुख्यत: किसी ड्रइन, स्यूवर , हार्बर, नदी या पानी प्रवाह में पेट्रोलियम का पलायन निरोध करने सभी उचित पूर्वविधान सभी समय लिए जाएंगे ।

(ख) पेट्रोलियम जलयान का मास्टर आदि नुकसान का उत्तरदायी है :- बोर्ड से संबंधित संपत्ति या नौभार को हुआ किसी न किसी नुकसान के लिए पेट्रोलियम जलयान का मास्टर , मालिक तथा एजन्ट उत्तरदायी होगा ।

(ग) भार पेट्रोलियम :- पूर्व विनियमों में जो कुछ होने पर भी यदि जहाज़ का मास्टर या एजन्ट यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि बोर्ड पर का पट्रोलियम भार पेट्रोलियम है, तो साधारण नौभार की तरह उसका भी उतराव हो जाए ।

बशर्ते कि पेट्रोलियम का परीक्षण करने उसकी नमूना किसी न किसी समय पर नमूना अधिकारी चाहेगा तो उसको देना है ।

108. द्रव इंधन से जलयानों में इंधन डालना :- निम्न शर्तों की पूर्ती पर पोर्ट की सेवा पाइप लाइनों या कोई बर्थ के द्वारा क्वे में टैंक बार्जों द्वारा द्रव इंधन से जलयानों में इंधन डालना मंजूर किया जाए :-

(क) किसी जलयान के अपने बंगरों में द्रव इंधन प्राप्त करते वक्त, ऐसे जलयान के मास्टर या प्रथम मेइट को बोर्ड पर रहना होगा तथा यह देखना होगा कि इन विनियमों का पालन किया जाएं तथा सुरक्षा के लिए सभी उचित पूर्वाविधानों का पालन किया जाए ।

(ख) इंधन डालते समय जहाज़ अधिकारी निगरानी रहेगा तथा बंकरों के लिए द्रव इंधन की पूर्ती करनेवाली तेल कंपनी का परिचर फ्लेक्सिबिल कनक्टिंग पाइप के बगल में खड़े रहेगा ।

(ग) द्रव इंधन के सप्लायर इसका उत्तरदायी होगा कि जलयानों में इंधन डालने के लिए सभी फ्लेक्सिबिल पाइप प्रचालन की शुरुआत के पहले 7 किलो /सेन्टीमीटर ^{2} भार पर परीक्षण किए जाए तथा सभी जोड तेल युक्त है ।

(घ) टपकने या इंधन तेल या अन्य कारणों से पोर्ट के नौभार या संपत्ति को हुई जो भी नुकसान के लिए बंकरों के लिए द्रव इंधन सप्लाई करनेवाले उत्तरदायी होंगे ।

यदि जलयान से संबंधित साधनों या उपकरणों की विफलता या भरा होने या लापरवाही के कारण कोई नुकसान हुआ तो ऐसे इंधन प्राप्त करनेवाले जलयान के मास्टर तथा मालिक या एजन्ट भी उत्तरदायी होंगे ।

(ङ) इंधन डालते समय तेल के कारण न प्रभावित माल के अलावा नौभार तेल स्टान्ड पाइपों तथा शेड दरवाज़ों के पीछे 15 मीटरों के अंदर वार्फ पर न रहने देना है ।

(च) के पर इंधन डालना सेवा पाइप लाइन द्वारा शुरु होने के पहले परिचर यह देखें कि तेल कंपनी डिप्पो के साथ टेलिफोन संबंध ठीक है ।

(छ) इंधन डालते वक्त पूरा समय एक परिचर को पंप के पास ड्यूटी पर रहना चाहिए ।

(ज) इंधन डालने के शुरुआत के पहले कम से कम दो घंटों की लिखित सूचना उप संरक्षक को देना होगा ।

(झ) सभी आवश्यक पूर्वाविधान लिए जाने के बारे में पोर्ट आग अधिकारी संतुष्ट हुए बिना इंधन डालना शुरु नहीं करना है ।

(ञ) इंधन डालते समय जलयानों के डेक पर धूम्रपान, रसोई, दिया या फोर्जस नहीं होना है ।

(ट) वार्फ पर या पानी में कोई तेल गिर जाने का निरोध करने संबद्ध सेवा पाइप के नीचे उचित गंदी मोरी या अन्य कोन्ट्रिवेन्स को रखना है ।

IV. विविध

109. के आदि यातायात प्रबंधक के प्राधिकरण के अन्तर्गत :- वार्फ परिसरों के अन्तर्गत के , शेड, द्वार तथा भूमि यातायात प्रबन्धक के अधिकार के होंगे । यातायात प्रबंधक माल के उतराव व चढ़ाव से संबद्ध सभी प्रचालनों का तथा शेडों में व खुले भंडारण का निदेशन तथा प्रबंध करेगा । बोर्ड के अधीन में वार्फ में होनेवाले सभी माल की उचित संरक्षा करेगा तथा उचित पालन केलिए आवश्यक कदमें जो उचित समझें, लिए जाएं ।

110. पोर्ट परिसरों में बिना कार्य जनता वर्जित है :- बोर्ड के परिसरों में जैसे विल्लिंगडन वार्फ, फोर्टकोचिन वार्फ तथा तेल टैकर बर्थ तथा ऐसे परमिट अन्य क्षेत्रों जो समय समय पर बोर्ड निर्देश करें, में प्रवेश परमिट, पास, बाडज (अभी से साधारणत: "परमिट" करे जाएंगे) द्वारा नियमित किया जाएगा । ऐसा पोर्ट के कार्य, सेवाओं से संबन्धित परिसरों में कारोबार संभालनेवाले जनता को आवेदन करने पर अध्यक्ष की प्राधिकारी पर या उसके द्वारा जारी किया जाएगा । परन्तु सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी किए फोटो पहचान कार्डों को दिखाने पर कार्यरत सीमाशुल्क अधिकारी अन्दर जाने दिए जाएंगे ।

आगे यह उपबंध किया गया कि कोचिन डाक लेबर बोर्ड में पंजीकृत स्टीवडोर श्रमिक कर्तव्य भार पर होते समय बोर्ड जहाज़ों पर जाने के लिए बोर्ड के परिसरों में विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फों द्वारा जाने के लिए कोचिन डॉक लेबर बोर्ड दवारा जारी किए फोटो पहचान कार्डों के आधार पर जाने दिया जाए ।

111. अनधिकार प्रवेश :- (1) विनियम 110 में बताया बोर्ड के परिसरों में परमिट या फोटो पहचान कार्ड के बिना कोई व्यक्ति पकडा गया तो उक्त विनियम के अनुसार घुसपैठिया सा समझा जाएगा तथा अभियोग का भागी होगा । परमिट का धारण करने से अमुक कारबार के लिए हार्बर में प्रवेश करने तथा उस प्रयोजनार्थ हार्बर के परिसरों में रहने का हक होगा ; तथा ऐसा परमिट का धारण करने पर भी कारबार के स्थलों के अलावा अन्य प्रदेशों में घूमते किसी व्यक्ति पाया गया तो घुसपैठिया सा माना जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त बोर्ड के परिसरों में अवैद्य रूप से घुसते या किसी न किसी तरह परमिटों का दुरुपयोग करते पाया तो कोई दंड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह उत्तरदायी हो, ऐसे परमिटों के रद्द करने का भी उत्तरदायी होगा ।

(3) लेकिन जब पोर्ट परिसरों के किसी निश्चित भाग को समय समय पर बोर्ड द्वारा उन साधारण के लिए